



# वार्षिक लेखा

## 2024 - 2025



## पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

(संसद के अधिनियम द्वारा निर्मित सांविधिक प्राधिकरण)

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

प्लांट अथॉरिटी भवन, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, एनएएससी कॉम्प्लेक्स के पास,

टोडापुर गांव के सामने, नई दिल्ली -110 012

फोन : 011-25848127, 25843316

[www.plantauthority.gov.in](http://www.plantauthority.gov.in)

## पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

(संसद के अधिनियम द्वारा निर्मित सांविधिक प्राधिकरण)

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

प्लांट अथॉरिटी भवन, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, एनएएससी कॉम्प्लेक्स के पास,

टोडापुर गांव के सामने, नई दिल्ली -110 012

[www.plantauthority.gov.in](http://www.plantauthority.gov.in)



# वार्षिक लेखा 2024-2025

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण  
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग  
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
प्लांट अथॉरिटी भवन, डीपीएस मार्ग, नयी दिल्ली -110012  
[www.plantauthority.gov.in](http://www.plantauthority.gov.in)



## विषय-सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	तुलन-पत्र	1
2.	आय और व्यय का लेखा	2-3
3.	प्राप्तियों एवं भुगतान का लेखा	4-6
4.	तुलन-पत्र की अनुसूचियां (अनुसूची 1 से 11)	7-19
5.	आय और व्यय लेखे की अनुसूचियां (अनुसूची 12 से 23)	20-29
6.	प्रमुख लेखा नीतियां (अनुसूची 24)	30-33
7.	आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियां (अनुसूची 25)	34-39
8.	पूर्व अवधि समायोजन लेखा (अनुबंध क)	40
9.	केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि (विद्यमान डीयूएस केन्द्र) –अनुबंध ख	41-51
10.	केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि (नए डीयूएस केन्द्र) –अनुबंध ग	52-56
11.	संदर्भ प्रयोगशालाओं के पास उपलब्ध राशि का विवरण –अनुबंध घ	57
12.	जीन बैंक तथा फील्ड जीन बैंक को के पास उपलब्ध राशि का विवरण –अनुबंध ङ.	58
13.	प्रशिक्षण और जागरूकता के लिए संगठन/केन्द्र को जारी अनुदान –अनुबंध च	59-67
14.	बाहरी अग्रिम –अनुबंध छ	68
15.	अदा की गई वैधानिक देयताएं –अनुबंध ज	69
16.	अन्य प्रेषण –अनुबंध झ	70
17.	स्टाफ को अग्रिम –अनुबंध ञ	71
18.	तुलन-पत्र –सामान्य भविष्य निधि खाता	72
19.	आय और व्यय का लेखा –सामान्य भविष्य निधि खाता	73
20.	प्राप्तियों एवं भुगतान का लेखा –सामान्य भविष्य निधि खाता	74
21.	प्रमुख लेखा नीतियां व लेखों पर टिप्पणियां –सामान्य भविष्य निधि खाता	75
22.	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं प्रबंधकीय उत्तर	76-81



पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण  
31 मार्च 2025 को तुलन पत्र

राशि रुपये में

कोष/पूंजी निधि तथा देयताएं	अनुसूची	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
कोष/पूंजी निधि	1	2,41,22,80,989	2,27,40,05,801
संचय और अधिशेष	2	-	-
चिन्हित/स्थायी निधि	3	-	-
सुरक्षित ऋण तथा उधारियां	4	-	-
असुरक्षित ऋण तथा उधारियां	5	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
चालू देयताएं और प्रावधान	7	25,40,52,053	29,05,28,167
<b>कुल</b>		<b>2,66,63,33,042</b>	<b>2,56,45,33,968</b>
<b>परिसम्पत्तियां</b>			
अचल परिसम्पत्तियां	8(क)	1,43,26,62,515	3,30,84,308
घटाएं : संचयित मूल्यह्रास		16,67,11,973	2,68,78,538
निवल स्थायी परिसम्पत्तियां		1,26,59,50,542	62,05,770
पूंजीगत चालू कार्य	8(ख)	52,00,133	1,25,23,85,787
निवेश – चिन्हित/स्थायी निधियों से	9	-	-
निवेश – अन्य	10	17,47,96,372	89,68,00,219
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण और अग्रिम आदि	11	1,22,03,85,995	40,91,42,192
विभिन्न व्यय (जिस सीमा तक अपलिखित या समायोजित न किया गया हो)		-	-
<b>कुल</b>		<b>2,66,63,33,042</b>	<b>2,56,45,33,968</b>
प्रमुख लेखा नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियां	25		



विपिन त्यागी  
वित्तीय सलाहकार



डी.के. अग्रवाल  
महा-पंजीकार



त्रिलोचन महापात्रा  
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 19 जून, 2025

**पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण**  
**31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा**

राशि रुपये में

आय	अनुसूची	प्राधिकरण निधि		जीन निधि	
		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
बिक्री/सेवाओं से हुई आय	12	-	-	-	-
अनुदान/अनुवर्ती	13	28,21,92,313	28,35,88,133	3,00,00,000	3,00,00,000
शुल्क/चंदा	14	2,57,56,551	3,42,45,963	1,10,71,312	2,90,88,901
निवेशों से हुई आय	15	2,00,42,220	3,16,18,539	1,87,06,228	2,67,72,348
रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से हुई आय	16	-	-	-	-
अर्जित ब्याज	17	2,54,30,001	29,19,752	1,38,68,585	16,439
अन्य आय	18	2,06,77,518	1,64,50,086	73,67,669	34,96,515
तैयार माल और चालू कार्य के स्टॉक में वृद्धि (गिरावट)	19	-	-	-	-
पूर्व समय समायोजन लेखा (अनुबंध क)		3,60,531	3,17,61,609	-	3,03,24,266
<b>कुल (क)</b>		<b>37,44,59,134</b>	<b>40,05,84,082</b>	<b>8,10,13,794</b>	<b>11,96,98,469</b>
<b>व्यय</b>					
स्थापना व्यय	20	3,78,46,666	3,81,48,313	-	-
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	9,59,53,095	7,98,21,388	9,55,980	1,14,57,857
अनुदान/अनुवर्ती आदि पर हुआ व्यय	22	15,51,14,553	16,20,62,738	-	-
ब्याज	23	42,31,131	13,86,761	-	-
मूल्यह्रास/परिशोधन मूल्य हानि सहित (अनुसूची 8 से सम्बद्ध वर्ष के अंत में निवल योग)		14,01,63,389	20,59,643	-	-
पूर्व समय समायोजन लेखा (अनुबंध-क)		10,06,043	2,91,87,931	-	67,970
<b>कुल (ख)</b>		<b>43,43,14,877</b>	<b>31,26,66,774</b>	<b>9,55,980</b>	<b>1,15,25,827</b>
<b>शेष आय का व्यय पर आधिक्य (क-ख)</b>		<b>(5,98,55,743)</b>	<b>8,79,17,308</b>	<b>8,00,57,814</b>	<b>10,81,72,642</b>
विशेष आरक्षित निधि में हस्तांतरण (प्रत्येक को अलग-अलग बताएं)		-	-	-	-

आय	अनुसूची	प्राधिकरण निधि		जीन निधि	
		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
सामान्य आरक्षित निधि को/से हस्तांतरण		-	-	-	-
कोष/पूंजी निधि तक ले जाई गई अधिशेष राशि (घाटा) का शेष		(5,98,55,743)	8,79,17,308	8,00,57,814	10,81,72,642
प्रमुख लेखा नीतियां	24				
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	25				



विपिन त्यागी  
वित्तीय सलाहकार



डी.के. अग्रवाल  
महा-पंजीकार



त्रिलोचन महापात्रा  
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 19 जून, 2025

**पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण**  
**31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान**

राशि रुपये में

प्राप्तियां	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	भुगतान	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
<b>1. प्रारंभिक शेष</b>			1. व्यय		
क) अग्रदाय (रोकड़ शेष)			क) स्थापना व्यय	2,63,44,043	2,31,85,025
शिवमोगा शाखा	957	-	ख) प्रशासनिक व्यय (प्रोजेक्ट सहित)	6,57,35,657	8,19,18,851
पालमपुर शाखा	1,066	11,842			
रांची शाखा	2,514	673			
गुवाहाटी शाखा	1,458	1,458	2. निधियों के विरुद्ध किया गया भुगतान		
			क) विद्यमान डीयूएस केन्द्र (अनुबंध-ख)	8,11,03,974	8,77,57,642
			ख) नया डीयूएस केन्द्र (अनुबंध-ग)	1,40,30,990	2,96,64,902
ख) बैंक शेष			ग) फील्ड जीन बैंक (अनुबंध- ड.)	31,40,320	28,94,858
I चालू खाते में					
भारतीय स्टेट बैंक	29,69,417	11,62,153	3. अचल सम्पत्तियों व चालू पूंजीगत कार्यों पर व्यय		
भारतीय स्टेट बैंक (जीन निधि)	2,44,434	2,09,95,351	क) स्थायी परिसम्पत्ति की खरीद (प्राधिकरण)	48,17,411	14,50,227
भारतीय स्टेट बैंक पालमपुर शाखा	2,256	16,758	ख) चालू पूंजीगत कार्य	-	-
II जमा खातों में			4. उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को भवन निर्माण के लिए दिए गए अग्रिम	11,84,47,531	2,09,85,093
भारतीय स्टेट बैंक (जीन निधि)	10,50,00,000	7,50,00,000	सॉफ्टवेयर – आईएएसआरआई	-	2,55,543
केनरा बैंक (जीन निधि)	21,25,32,883	15,93,43,786			
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (जीन निधि)	12,57,14,917	12,12,31,037	5. प्रशिक्षण केन्द्रों को जारी अनुदान (अनुबंध-च)	2,02,61,138	33,75,003
केनरा बैंक (प्राधिकरण)	37,39,82,973	25,39,56,570			
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (प्राधिकरण)	10,95,69,446	16,71,04,312	6. बाहरी विभागों को अग्रिम (अनुबंध छ)	2,31,29,789	44,93,697
			7. भारत की संचित निधि को ब्याज का भुगतान	16,45,103	11,78,608

प्राप्तियाँ	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	भुगतान	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
III बचत खातों में					
केनरा बैंक	8,13,69,856	3,68,25,577	8. जीन निधि में योगदान	3,00,00,000	3,00,00,000
भारतीय स्टेट बैंक गुवाहाटी शाखा	1,46,289	1,42,396			
भारतीय स्टेट बैंक रांची शाखा	27,923	1,28,540	9. शुल्क की वापसी/अंशदान/अन्य आय		
केनरा बैंक शिवमोगा शाखा	3,64,985	5,16,526	आवेदन/पंजीकरण/डीयूएस/वार्षिक नवीनीकरण/पीवी शुल्क आदि की वापसी	32,000	1,20,200
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे शाखा	1,47,392	1,40,540			
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1,87,18,686	14,14,411	10. आईटीपीजीआरएफए को योगदान	-	1,06,72,684
आईसीआईसीआई बैंक	35,707	-			
2. भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	37,13,02,000	38,52,03,851	11. अन्य पूर्वावधि समायोजन खाता	2,58,000	2,39,27,935
3. बैंक से प्राप्त ब्याज (अर्जित ब्याज सहित)	8,10,96,960	3,47,17,640	12. कर्मचारियों को अग्रिम (अनुबंध-ज)	4,06,884	10,46,797
4. विद्यमान डीयूएस केन्द्र से अनुदान की वापसी (अनुबंध-ख)	1,47,851	16,47,746	13. सुरक्षा जमा की वापसी	-	60,000
5. प्रशिक्षण केन्द्रों से अनुदान की वापसी (अनुबंध-च)	15,14,558	3,32,309	14. भुगतान की गई वैधानिक देयताएं (अनुबंध-ज)	1,52,01,498	1,23,52,807
6. डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास के लिए अनुदान की वापसी (नया डीयूएस केन्द्र) (अनुबंध-ग)	-	1,05,485	15. अन्य प्रेषण (अनुबंध-झ)	1,42,668	1,06,276
7. कर्मचारियों से अग्रिम की वापसी (ज)	1,09,930	3,05,708	16. अंत शेष		
			क) अग्रदाय (रोकड़ शेष)		
8. शुल्क/अंशदान/अन्य आय			शिवमोगा शाखा	-	957
आवेदन/पंजीकरण शुल्क	1,30,13,600	90,79,000	पालमपुर शाखा	-	1,066
पीवी अंशदान शुल्क	2,34,500	26,25,500	रांची शाखा	5,288	2,514
वार्षिक शुल्क (बीजों की बिक्री से प्राप्त हिस्से सहित) - जीन निधि	1,09,67,147	2,25,08,869	गुवाहाटी शाखा	3,965	1,458
डीयूएस परीक्षण शुल्क	83,30,900	83,54,150			
अन्य आय (पूर्वावधि सहित)	2,42,27,456	1,99,29,631	ख) बैंक शेष		
वार्षिक नवीकरण शुल्क	39,58,000	91,23,313	I चालू खाते में		
पुराने समाचार-पत्रों, स्क्रीप की बिक्री	-	630	भारतीय स्टेट बैंक	58,60,025	29,69,417
			भारतीय स्टेट बैंक (जीन निधि)	7,19,386	2,44,434
9. प्राधिकरण निधि से योगदान	3,00,00,000	3,00,00,000	भारतीय स्टेट बैंक पालमपुर शाखा	55,804	2,256

प्राप्तियां	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	भुगतान	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
10. टाटा पावर से वापसी	6,18,095	15,24,729	II जमा खातों में		
			भारतीय स्टेट बैंक (जीन निधि)	7,50,00,000	10,50,00,000
11. आयकर विभाग से वापसी (ब्याज सहित)	-	21,08,320	केनरा बैंक (जीन निधि)	40,30,85,821	21,25,32,883
			यूनियन बैंक ऑफ इंडिया -जीन निधि	3,82,43,585	12,57,14,917
12. जीपीएफ से अधिशेष	-	7,20,496	केनरा बैंक (प्राधिकरण)	56,42,53,462	37,39,82,973
			यूनियन बैंक ऑफ इंडिया - प्राधिकरण	1,86,52,322	10,95,69,446
			III बचत खातों में		
			केनरा बैंक	6,47,96,014	8,13,69,856
			भारतीय स्टेट बैंक गुवाहाटी शाखा	1,24,262	1,46,289
			भारतीय स्टेट बैंक रांची शाखा	13,748	27,923
			केनरा बैंक शिवमोगा शाखा	1,35,629	3,64,985
			बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे शाखा	1,51,488	1,47,392
			आईसीआईसीआई बैंक	45,576	35,707
			यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	4,07,941	1,87,18,686
			एचडीएफसी बैंक	1,02,834	-
कुल	1,57,63,54,156	1,36,62,79,307	कुल	1,57,63,54,156	1,36,62,79,307

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी  
वित्तीय सलाहकार

डी.के. अग्रवाल

डी.के. अग्रवाल  
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा

त्रिलोचन महापात्रा  
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 19 जून, 2025

**पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण**  
**31 मार्च 2025 को तुलन-पत्र के एक भाग के रूप में अनुसूची**

राशि रुपये में

	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	
<b>अनुसूची 1 – कोष/ पूंजी निधि</b>				
<b>क) प्राधिकरण निधि</b>				
वर्ष के आरंभ के अनुसार शेष राशि	56,27,00,025		47,04,03,261	
जोड़ें : अचल सम्पत्ति के लिए प्रयुक्त निधि	14,71,511		36,04,090	
जोड़ें : जीपीएफ से अधिशेष	-		7,75,366	
जोड़ें (घटाएं) : आय तथा व्यय लेखे से हस्तांतरित निवल आय (व्यय) की शेष राशि	(5,98,55,743)	50,43,15,793	8,79,17,308	56,27,00,025
<b>पूंजीगत अनुदान</b>				
वर्ष के आरंभ के अनुसार शेष राशि	1,24,14,19,030		1,19,63,90,000	
जोड़ें : वर्ष के दौरान जमा	11,66,01,606	1,35,80,20,636	4,50,29,030	1,24,14,19,030
<b>ख) जीन निधि</b>				
वर्ष के आरंभ के अनुसार शेष राशि	46,98,86,746		36,17,14,104	
जोड़ें (घटाएं) : आय तथा व्यय लेखे से हस्तांतरित निवल आय (व्यय) की शेष राशि	8,00,57,814	54,99,44,560	10,81,72,642	46,98,86,746
<b>वर्ष के अंत में शेष</b>		2,41,22,80,989		2,27,40,05,801

	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	
<b>अनुसूची 2: आरक्षित तथा अधिशेष</b>				
1. पूंजी संचय		-		-
2. पुनर्मूल्यांकन संचय		-		-
3. विशेष संचय		-		-
4. सामान्य संचय		-		-
<b>कुल</b>		-		-



विपिन त्यागी  
वित्तीय सलाहकार



डी.के. अग्रवाल  
महा-पंजीकार



त्रिलोचन महापात्रा  
अध्यक्ष

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण  
31 मार्च 2025 को तुलन-पत्र के एक भाग के रूप में अनुसूची

राशि रुपये में

	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	
अनुसूची 3 – चिन्हित आय/स्थायी निधि				
क. निधियों का प्रारंभिक शेष				
ख. वर्ष के दौरान जमा	-	-	-	-
कुल (क+ख)		-		-
ग. निधियों के उद्देश्य के प्रति उपयोग/व्यय				
1. पूंजी व्यय	-	-	-	-
2. राजस्व व्यय	-	-	-	-
कुल (ग)	-	-	-	-
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख-ग)		-		-



विपिन त्यागी  
वित्तीय सलाहकार



डी.के. अग्रवाल  
महा-पंजीकार



त्रिलोचन महापात्रा  
अध्यक्ष

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण  
31 मार्च 2025 को तुलन-पत्र के एक भाग के रूप में अनुसूची

राशि रुपये में

	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	
अनुसूची 4 – सुरक्षित ऋण तथा उधारियां				
1. केन्द्र सरकार		-		-
2. राज्य सरकार		-		-
3. वित्तीय संस्थान		-		-
4. बैंक		-		-
5. अन्य संस्थान एवं एजेंसियां		-		-
6. ऋण पत्र और बॉण्ड्स		-		-
7. अन्य		-		-
कुल		-		-



विपिन त्यागी  
वित्तीय सलाहकार



डी.के. अग्रवाल  
महा-पंजीकार



त्रिलोचन महापात्रा  
अध्यक्ष

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण  
31 मार्च 2025 को तुलन-पत्र के एक भाग के रूप में अनुसूची

राशि रुपये में

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
<b>अनुसूची 5- असुरक्षित ऋण तथा उधारियां</b>		
1. केन्द्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार	-	-
3. वित्तीय संस्थान	-	-
4. बैंक	-	-
5. अन्य संस्थान एवं एजेंसियां	-	-
6. ऋण पत्र और बॉण्ड्स	-	-
7. सावधि जमा	-	-
8. अन्य	-	-
<b>कुल</b>	-	-

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
<b>अनुसूची 6 - आस्थगित ऋण देयताएं</b>		
क. पूंजी उपकरण और अन्य संपत्तियों के दृष्टिबंधक द्वारा सुरक्षित स्वीकृति		
ख. अन्य	-	-
<b>कुल</b>	-	-



विपिन त्यागी  
वित्तीय सलाहकार



डी.के. अग्रवाल  
महा-पंजीकार



त्रिलोचन महापात्रा  
अध्यक्ष

**पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण**  
**31 मार्च 2025 को तुलन-पत्र के एक भाग के रूप में अनुसूची**

राशि रुपये में

	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	
<b>अनुसूची 7- चालू दायित्व एवं प्रावधान</b>				
1. स्वीकृतियां	-		-	
2. विविध लेनदारी				
क. माल के लिए	-		-	
ख. अन्य के लिए	2,96,12,017		66,38,148	
ग. स्टाफ के लिए				
बकाया वेतन	35,64,453	3,31,76,470	34,03,705	1,00,41,853
3. अग्रिम प्राप्ति				
आवेदन शुल्क/पंजीकरण शुल्क के लिए अग्रिम/ वापसी योग्य शुल्क	1,37,000		8,000	
प्रतिभूति जमा	-	1,37,000	-	8,000
4. अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं				
क. सुरक्षित ऋण/उधारियां	-		-	
ख. असुरक्षित ऋण/उधारियां	-		-	
5. वैधानिक देयताएं				
क. अतिदेय	-		-	
ख. अन्य	-		-	
वस्तु एवं सेवा कर देय	9,14,983		2,39,457	
स्रोत पर काटा गया कर	15,09,576		3,50,812	
नई पेंशन योजना	-		2,016	
लाइसेंस शुल्क	-		21,352	
सीजीएचएस	1,000		45,050	
सीजीईजीआईएस	2,840		2,840	
		24,28,399		6,61,527
6. अन्य चालू दायित्व				
अप्रयुक्त वापसी योग्य अनुदान	4,97,35,142		7,86,98,572	
परियोजना व्यय हेतु प्रावधान	-		16,021	

राशि रुपये में

	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	
भारत की समेकित निधि को देय अनुदान पर अर्जित ब्याज	42,31,131		13,86,761	
अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान	8,28,843		17,41,870	
		5,47,95,116		8,18,43,224
<b>कुल (क)</b>		<b>9,05,36,985</b>		<b>9,25,54,604</b>
<b>ख. प्रावधान</b>				
1. उपादान	97,27,220		91,06,518	
2. संचित छुट्टी नकदीकरण	1,22,21,345		1,02,41,862	
3. विभिन्न केन्द्रों को अदा किए गए अनुदान पर व्यय	10,89,70,986		15,88,64,222	
4. प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम पर व्यय	3,25,95,517	16,35,15,068	1,97,60,961	19,79,73,563
<b>कुल (ख)</b>		<b>16,35,15,068</b>		<b>19,79,73,563</b>
<b>कुल (क + ख)</b>		<b>25,40,52,053</b>		<b>29,05,28,167</b>



विपिन त्यागी  
वित्तीय सलाहकार



डी.के. अग्रवाल  
महा-पंजीकार



त्रिलोचन महापात्रा  
अध्यक्ष

**पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण**  
**31 मार्च 2025 को तुलन-पत्र के एक भाग के रूप में अनुसूची**

राशि रुपये में

विवरण	सकल ब्लॉक			सकयी मूल्यहास / परिशोधन			निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल 2024 को लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	31 मार्च 2025 को लागत/मूल्यांकन	1 अप्रैल 2024 को	वर्ष के दौरान मूल्यहास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौती / समायोजन	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
<b>अनुसूची 8- अचल संपत्ति और पूंजीगत चालू कार्य</b>								
क. अचल सम्पत्ति								
1 भूमि								
क. पूर्णस्वामित्व	-	33,45,900	-	-	-	-	33,45,900	-
ख. पट्टे पर	30	-	30	13	1	14	16	17
2 भवन								
क. पूर्णस्वामित्व भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-
ख. पट्टा भूमि पर-प्लॉट अथॉरिटी भवन	-	86,99,27,727	-	-	8,69,92,773	-	78,29,34,954	-
ग. पट्टा भूमि पर-पीपीपी हॉस्टल	-	9,58,97,860	-	-	47,94,893	-	9,11,02,967	-
घ. स्वामित्व फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-
च. भूमि पर अधिरचना जो इकाई से संबंधित नहीं है	13,91,182	-	11,24,766	10,16,356	35,905	2,36,440	3,08,945	3,74,826
3 संयंत्र मशीनरी व उपकरण	13,73,875	2,98,19,029	3,11,92,904	12,46,535	44,91,955	-	2,54,54,414	1,27,340
4 वाहन	7,04,376	-	7,04,376	4,08,443	44,390	-	2,51,543	2,95,933
5 फर्नीचर और फिक्सचर्स आदि	53,84,702	17,74,84,236	18,28,68,938	35,67,644	1,79,31,971	86,406	16,14,55,729	18,17,058

विवरण	सकल ब्लॉक			सचयी मूल्यहास / परिशोधन			निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल 2024 को लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	31 मार्च 2025 को लागत/ मूल्यांकन	1 अप्रैल 2024 को परिशोधन / मूल्यहास	वर्ष के दौरान कटौती / समायोजन	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
6 कार्यालय उपकरण आदि	37,82,392	2,19,81,721	-	2,57,64,113	24,94,051	-	1,94,58,343	12,88,341
7 कम्प्यूटर (बाह्य उपकरण) आदि	1,78,80,872	20,76,889	-	1,99,57,761	1,56,11,699	-	26,16,226	22,69,173
8 विद्युत संस्थापन	1,04,501	19,45,72,595	-	19,46,77,096	94,998	7,108	17,49,76,266	9,503
9 पुस्तकालय पुस्तकें	24,18,678	-	-	24,18,678	24,16,607	-	1,242	2,071
10 ट्यूबवेल और जल आपूर्ति	-	47,38,666	-	47,38,666	-	-	40,27,866	-
11 व्यापार चिह्न	43,700	-	-	43,700	22,192	-	16,131	21,508
कुल	3,30,84,308	1,39,98,44,623	2,66,416	1,43,26,62,515	2,68,78,538	3,29,954	1,26,59,50,542	62,05,770
पिछले वर्ष	2,94,80,218	36,04,090	-	3,30,84,308	2,48,18,895	-	62,05,770	46,61,323
ख पूंजीगत चालू कार्य								
पूंजीगत चालू कार्य - भवन	1,24,71,85,654	14,84,59,653	1,39,56,45,307	-	-	-	-	1,24,71,85,654
पूंजीगत चालू कार्य - वेबसाइट	52,00,133	-	-	52,00,133	-	-	52,00,133	52,00,133
पूंजीगत चालू कार्य - सॉफ्टवेयर	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्तमान वर्ष का कुल	1,25,23,85,787	14,84,59,653	1,39,56,45,307	52,00,133	-	-	52,00,133	1,25,23,85,787
पिछले वर्ष	1,21,25,65,799	4,19,73,851	21,53,863	1,25,23,85,787	-	-	1,25,23,85,787	1,21,25,65,799

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी  
वित्तीय सलाहकार

विपिन त्यागी

डी.के. अग्रवाल  
महानिरीक्षक

लि. सहायदा

त्रिलोचन महापात्रा  
अध्यक्ष

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण  
31 मार्च 2025 को तुलन-पत्र के एक भाग के रूप में अनुसूची

राशि रुपये में

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
<b>अनुसूची 9- निवेश-चिन्हित/स्थायी निधि से</b>		
1. सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. ऋण पत्र और बॉण्ड्स	-	-
5. सहायक और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य	-	-
<b>कुल</b>	-	-

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
<b>अनुसूची 10- निवेश-अन्य</b>		
1. सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. ऋण पत्र और बॉण्ड्स	-	-
5. सहायक और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य	-	-
बैंक के पास स्थायी जमा जिसकी परिपक्वता की मूल अवधि एक वर्ष से अधिक है		
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	3,49,90,126	23,52,84,363
- भारतीय स्टेट बैंक	7,50,00,000	7,50,00,000
- केनरा बैंक	6,48,06,246	58,65,15,856
<b>कुल</b>	<b>17,47,96,372</b>	<b>89,68,00,219</b>



विपिन त्यागी  
वित्तीय सलाहकार



डी.के. अग्रवाल  
महा-पंजीकार



त्रिलोचन महापात्रा  
अध्यक्ष

**पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण**  
**31 मार्च 2025 को तुलन-पत्र के एक भाग के रूप में अनुसूची**

राशि रुपये में

	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	
<b>अनुसूची 11- चालू सम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम</b>				
<b>1. चालू सम्पत्तियां</b>				
1. माल				
क. भंडार एवं पुर्जे	1,08,107		1,28,848	
ख. स्टेशनरी	1,40,956		1,39,011	
ग. बिक्री के लिए माल	-	2,49,063	-	2,67,859
2. विविध देनदार			-	-
3. हस्तगत रोकड़ शेष (चैक/ड्राफ्ट/अग्रदाय/स्टैम्प सहित)				
अग्रदाय				
गुवाहाटी	3,965		1,458	
रांची	5,288		2,514	
शिवमोगा	-		957	
पालमपुर	-	9,253	1,066	5,995
4. हस्तगत डाक टिकट		1,70,107		85,296
5. बैंक शेष				
क) अनुसूचित बैंक के पास				
चालू खातों पर				
प्राधिकरण निधि -एसबीआई	58,60,025		29,69,417	
एसबीआई -पालमपुर	55,804		2,256	
जीन निधि - एसबीआई	7,19,386	66,35,215	2,44,434	32,16,107
जमा खातों पर				
प्राधिकरण निधि -सावधि जमा केनरा बैंक	53,51,12,112		-	
जीन निधि - सावधि जमा एसबीआई	-		3,00,00,000	
जीन निधि - सावधि जमा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2,19,05,781		-	
जीन निधि -सावधि जमा केनरा बैंक	36,74,20,925	92,44,38,818	-	3,00,00,000

**पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण**  
**31 मार्च 2025 को तुलन-पत्र के एक भाग के रूप में अनुसूची**

राशि रुपये में

	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	
बचत खातों पर				
केनरा बैंक – प्राधिकरण	6,47,96,014		8,13,69,856	
एसबीआई – गुवाहाटी	1,24,262		1,46,289	
एसबीआई – रांची	13,748		27,923	
केनरा बैंक – शिवमोगा	1,35,629		3,64,985	
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया – प्राधिकरण	4,07,941		1,87,18,686	
आईसीआईसीआई बैंक (प्राधिकरण)	45,576		35,707	
एचडीएफसी बैंक – प्राधिकरण	1,02,834		-	
बैंक ऑफ महाराष्ट्र – पुणे	1,51,488	6,57,77,492	1,47,392	10,08,10,838
ख) गैर अनुसूचित बैंकों सहित				
चालू खाते पर	-		-	
जमा खाते पर	-		-	
बचत खाते पर	-	-	-	-
<b>कुल (क)</b>		<b>99,72,79,948</b>		<b>13,43,86,095</b>

**पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण**  
**31 मार्च 2025 को तुलन-पत्र के एक भाग के रूप में अनुसूची**

राशि रुपये में

	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2025 को	
अनुसूची 11- चालू सम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम				
<b>ख. ऋण अग्रिम एवं अन्य सम्पत्तियां</b>				
1. ऋण				
क. स्टाफ	33,999		7,649	
ख. अन्य	-	33,999	-	7,649
2. अग्रिम और अन्य राशि जो नकद या वस्तु के रूप में या वसूली योग्य है				
<b>क. पूंजीगत खाते पर</b>				
प्लांट अथॉरिटी भवन के निर्माण के लिए अग्रिम	-		95,35,744	
वेबसाइट के विकास के लिए अग्रिम	12,14,267	12,14,267	12,14,267	1,07,50,011
<b>ख. पूर्व भुगतान</b>				
पूर्वदत्त व्यय	20,022		29,022	
डीयूएस परीक्षण शुल्क के लिए जारी अनुदान	17,27,571		15,98,534	
प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए जारी अनुदान	3,50,35,066		2,45,20,560	
बाहरी विभागों के लिए अग्रिम	1,30,93,362		17,25,580	
नए डीयूएस केन्द्र को जारी अनुदान	2,44,10,938		3,50,55,212	
वर्तमान डीयूएस केन्द्रों को जारी अनुदान	9,16,28,253		14,18,12,744	
फील्ड जीन बैंक को जारी अनुदान	13,63,948		31,45,021	
कृषक किस्मों के लक्षण विवरण व पंजीकरण को जारी अनुदान	12,77,503		21,15,208	
संदर्भ प्रयोशालाओं को जारी अनुदान	49,714		49,714	
बीज बैंक को नई स्थापना के लिए जारी अनुदान	9,41,078	16,95,47,455	9,41,078	21,09,92,673
<b>ग. अन्य</b>				
आय कर वसूली योग्य (प्राधिकरण व जीन निधि)	87,335		71,784	
सीपीएफ प्राप्य	45,000		45,000	
प्रतिभूति जमा - टाटा पावर	55,57,500		55,57,500	
प्रतिभूति जमा - एमटीएनएल	1,000		1,000	

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण  
31 मार्च 2025 को तुलन-पत्र के एक भाग के रूप में अनुसूची

राशि रुपये में

	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2025 को	
प्रतिभूति जमा – लोक निर्माण विभाग	3,00,000		3,00,000	
सामान्य सेवा शुल्क वसूली योग्य	36,78,165	96,69,000	-	59,75,284
3. उपार्जित आय				
क. चिन्हित /स्थायी निधि से निवेश पर	-		-	
ख. निवेश पर – अन्य	-		-	
–भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक में सावधि जमा खाते पर अर्जित ब्याज	32,19,004		2,60,28,463	
–भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सावधि जमा खाते पर अर्जित ब्याज – जीन निधि	41,35,322		1,86,64,583	
ग. ऋण तथा अग्रिम पर	-		-	
घ. अन्य	-		-	
–बचत खातों पर अर्जित ब्याज	-		3,92,995	
–सावधि जमा खाते पर अर्जित ब्याज (प्राधिकरण)	1,95,02,745		-	
–सावधि जमा खाते पर अर्जित ब्याज (जीन निधि)	1,38,56,255		16,439	
–वार्षिक शुल्क वसूली योग्य (जीन निधि)	19,28,000	4,26,41,326	19,28,000	4,70,30,480
कुल (ख)		22,31,06,047		27,47,56,097
कुल (क+ख)		1,22,03,85,995		40,91,42,192

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी  
वित्तीय सलाहकार

डी.के. अग्रवाल

डी.के. अग्रवाल  
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा

त्रिलोचन महापात्रा  
अध्यक्ष

**पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण**  
**31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता के**  
**भाग के रूप में अनुसूची**

राशि रुपये में

	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची 12. बिक्री/सेवाओं से आय		
1. बिक्री से आय	-	-
2. सेवाओं से आय	-	-
<b>कुल</b>	-	-

	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	
<b>अनुसूची 13 – अनुदान/अनुवर्ती – प्राधिकरण निधि</b>				
केन्द्र सरकार	45,00,00,572		41,09,19,825	
घटाएं– वापसी योग्य अप्रयुक्त अनुदान	4,97,35,142		7,86,98,572	
घटाएं– अचल संपत्ति के लिए उपयोग की गई निधि	14,71,511		36,04,090	
घटाएं– पूंजीगत अनुदान में स्थानांतरण	11,66,01,606	28,21,92,313	4,50,29,030	28,35,88,133
राज्य सरकार		-		-
सरकारी एजेंसियां		-		-
संस्थान/कल्याणकारी निकाय		-		-
अंतरराष्ट्रीय संगठन		-		-
अन्य		-		-
<b>कुल</b>		28,21,92,313		28,35,88,133
<b>अनुदान/अनुवर्ती (जीन निधि)</b>				
प्राधिकरण निधि से योगदान		3,00,00,000		3,00,00,000
<b>कुल</b>		3,00,00,000		3,00,00,000



विपिन त्यागी  
वित्तीय सलाहकार



डी.के. अग्रवाल  
महा-पंजीकार



त्रिलोचन महापात्रा  
अध्यक्ष

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण  
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता के  
भाग के रूप में अनुसूची

राशि रुपये में

	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
<b>अनुसूची-14- शुल्क/अंशदान (प्राधिकरण निधि)</b>		
डीयूएस परीक्षण शुल्क	83,60,900	1,01,54,150
प्रवेश शुल्क/आवेदन शुल्क	1,31,13,151	1,05,69,000
अंशदान/पी वी शुल्क	2,84,500	26,85,500
वार्षिक नवीकरण शुल्क	39,98,000	1,08,37,313
<b>कुल</b>	<b>2,57,56,551</b>	<b>3,42,45,963</b>
<b>शुल्क/अंशदान (जीन निधि)</b>		
बीज की बिक्री से हिस्सा / रॉयल्टी	90,78,871	2,49,99,221
वार्षिक शुल्क	19,92,441	40,89,680
अन्य	-	-
<b>कुल</b>	<b>1,10,71,312</b>	<b>2,90,88,901</b>

	चिन्हित निधि से निवेश		निवेश - अन्य	
	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
<b>अनुसूची 15. निवेश से आय</b>				
1. ब्याज				
क. सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख. अन्य बॉण्ड/ऋण पत्र	-	-	-	-
ग. सावधि जमा पर	-	-	2,00,42,220	3,16,18,539
2. लाभांश				
क. अंशों पर	-	-	-	-
ख. म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य	-	-	-	-
<b>कुल</b>	-	-	<b>2,00,42,220</b>	<b>3,16,18,539</b>
चिन्हित/स्थायी निधियों को हस्तांतरित	-	-		

**पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण**  
**31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता के**  
**भाग के रूप में अनुसूची**

राशि रुपये में

	चिन्हित निधि से निवेश		निवेश – अन्य	
	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
जीन निधि				
1. ब्याज				
क. सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख. अन्य बॉण्ड/ऋण पत्र	-	-	-	-
ग. सावधि जमा पर	-	-	1,87,06,228	2,67,72,348
2. लाभांश				
क. अंशों पर	-	-	-	-
ख. म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य	-	-	-	-
<b>कुल</b>	-	-	<b>1,87,06,228</b>	<b>2,67,72,348</b>
चिन्हित/स्थायी निधियों को हस्तांतरित	-	-		



विपिन त्यागी  
वित्तीय सलाहकार



डी.के. अग्रवाल  
महा-पंजीकार



त्रिलोचन महापात्रा  
अध्यक्ष

**पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण**  
**31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता के**  
**भाग के रूप में अनुसूची**

राशि रुपये में

	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
<b>अनुसूची 16 – रॉयल्टी प्रकाशन आदि से आय</b>		
रॉयल्टी से आय	-	-
प्रकाशन से आय	-	-
अन्य	-	-
<b>कुल</b>	-	-

	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
<b>अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज (प्राधिकरण निधि)</b>		
<b>1. अवधि जमा/सावधि जमा</b>		
अनुसूचित बैंकों के पास		
सावधि जमा (एसबीआई)	7,78,219	-
सावधि जमा (केनरा बैंक)	2,13,76,762	6,19,962
सावधि जमा (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया)	-	-
गैर अनुसूचित बैंकों के पास		
संस्थाओं के पास	-	-
अन्य	-	-
<b>2. बचत खातों पर</b>		
अनुसूचित बैंकों के पास (केनरा बैंक)	26,72,685	20,01,580
अनुसूचित बैंकों के पास (एसबीआई)	4,415	6,656
अनुसूचित बैंकों के पास (बैंक ऑफ महाराष्ट्र)	4,096	3,370
अनुसूचित बैंकों के पास (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया)	79,981	30,704
अनुसूचित बैंकों के पास (आईसीआईसीआई)	1,298	953
अनुसूचित बैंकों के पास (एचडीएफसी बैंक)	2,834	-
<b>3. ऋण पर</b>	-	-
<b>4. देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज</b>	<b>5,09,711</b>	<b>1,25,547</b>

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण  
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता के  
भाग के रूप में अनुसूची

राशि रुपये में

	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
5. आयकर विभाग से ब्याज	-	1,30,980
<b>कुल</b>	<b>2,54,30,001</b>	<b>29,19,752</b>
अर्जित ब्याज (जीन निधि)		
1.अवधि जमा/सावधि जमा पर		
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	1,38,68,585	16,439
<b>कुल</b>	<b>1,38,68,585</b>	<b>16,439</b>



विपिन त्यागी  
वित्तीय सलाहकार



डी.के. अग्रवाल  
महा-पंजीकार



त्रिलोचन महापात्रा  
अध्यक्ष

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण  
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता के  
भाग के रूप में अनुसूची

राशि रुपये में

	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
<b>अनुसूची 18 – अन्य आय</b>		
पुराने समाचार, पत्रिका व स्कैप से बिक्री	-	630
अपलिखित देयता	1,41,604	16,340
विविध आय (अन्य)	1,68,57,749	1,64,33,116
सामान्य सेवा शुल्क	36,78,165	-
<b>कुल</b>	<b>2,06,77,518</b>	<b>1,64,50,086</b>
<b>अन्य आय (जीन निधि)</b>		
विविध आय	73,67,669	34,96,515
<b>कुल</b>	<b>73,67,669</b>	<b>34,96,515</b>

	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
<b>अनुसूची 19– तैयार माल और चालू कार्य के स्टॉक में वृद्धि / ( कमी )</b>		
अंतिम रहतिया		
तैयार माल	-	-
चालू कार्य	-	-
आरंभिक रहतिया		
तैयार माल	-	-
चालू कार्य	-	-
निवल वृद्धि / ( कमी )	-	-



विपिन त्यागी  
वित्तीय सलाहकार



डी.के. अग्रवाल  
महा-पंजीकार



त्रिलोचन महापात्रा  
अध्यक्ष

**पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण**  
**31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता के**  
**भाग के रूप में अनुसूची**

राशि रुपये में

	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
<b>अनुसूची 20- स्थापना व्यय</b>		
मूल वेतन	1,57,47,800	1,68,15,148
पेंशन / परिवर्तित पेंशन	11,16,189	10,93,524
प्रतिनियुक्ति भत्ता	-	52,418
बोनस	34,540	34,540
महंगाई भत्ता	89,42,451	76,82,346
यात्रा भत्ता	11,80,674	11,32,028
नई पेंशन योजना में अंशदान	24,72,158	22,03,008
मानदेय	-	60,000
मकान किराया भत्ता	30,07,683	27,88,025
छुट्टी नकदीकरण	20,93,774	19,28,095
अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान	9,12,507	19,74,530
छुट्टी यात्रा रियायत	28,439	30,342
बाल शिक्षा भत्ता	4,72,500	4,01,646
छात्रावास अनुवृत्ति	1,01,250	-
उपादान	6,20,702	15,43,236
स्टाफ कल्याण व्यय (चिकित्सा व्यय)	11,15,999	4,09,427
<b>कुल</b>	<b>3,78,46,666</b>	<b>3,81,48,313</b>



विपिन त्यागी  
वित्तीय सलाहकार



डी.के. अग्रवाल  
महा-पंजीकार



त्रिलोचन महापात्रा  
अध्यक्ष

**पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण**  
**31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता के**  
**भाग के रूप में अनुसूची**

राशि रुपये में

	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
<b>अनुसूची 21- अन्य प्रशासनिक व्यय आदि (प्राधिकरण)</b>		
अंकेक्षण शुल्क	1,00,000	1,80,000
सामान्य सेवा शुल्क	6,68,135	16,88,725
बिजली एवं पानी व्यय	1,52,07,256	19,22,850
प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों पर व्यय	51,41,194	24,25,088
प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों पर व्यय	2,07,84,832	33,96,619
अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी / कार्यशालाओं पर व्यय	-	72,67,226
किराया शुल्क - समिति कक्ष	1,85,590	5,39,195
किराया शुल्क - वाहन	21,06,080	21,12,577
किराया शुल्क - पीओएस मशीन	5,900	7,080
आतिथ्य व्यय	3,07,805	4,72,674
हाउस कीपिंग / ऑफिस मेंटेनेंस खर्च	72,56,098	2,34,118
बीमा	19,167	12,156
विविध व्यय	19,33,399	13,83,170
पुस्तकें और पत्रिकाएँ	1,47,513	1,12,015
डाक, दूरसंचार एवं दूरभाष	13,63,862	12,94,818
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	23,11,650	12,52,166
व्यावसायिक शुल्क	39,27,514	46,35,612
कानूनी व्यय	3,246	2,43,100
प्रचार एवं विज्ञापन	31,615	28,265
किराया, दर एवं कर	11,65,077	13,07,253
वाहन परिचालन और रखरखाव	1,36,880	1,24,441
मरम्मत एवं रखरखाव	3,25,601	2,76,089
राजभाषा खर्च	-	92,000
बैठक शुल्क	2,28,000	96,000

**पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण**  
**31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता के**  
**भाग के रूप में अनुसूची**

राशि रुपये में

	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
सदस्यता शुल्क का भुगतान	22,737	14,854
बैंक शुल्क	42,650	35,584
मजदूरी	2,59,94,171	2,43,35,896
निगरानी व्यय	38,94,108	29,12,615
यात्रा व्यय – घरेलू (स्टाफ)	19,16,409	22,18,248
यात्रा व्यय – घरेलू (बाहरी)	7,26,606	5,45,851
यात्रा व्यय – अंतरराष्ट्रीय (स्टाफ)	-	2,35,033
यात्रा व्यय – अंतरराष्ट्रीय (बाहरी)	-	10,593
वैश्विक संगोष्ठी व्यय	-	1,84,09,477
<b>कुल</b>	<b>9,59,53,095</b>	<b>7,98,21,388</b>
<b>अन्य प्रशासनिक व्यय (जीन निधि)</b>		
कार्यक्रम प्रबंधन व्यय	-	3,15,792
बैठक शुल्क	12,000	4,000
प्रचार एवं विज्ञापन व्यय	4,99,790	10,67,392
विविध व्यय	11,119	-
यात्रा व्यय – घरेलू (स्टाफ)	2,07,775	93,948
यात्रा व्यय – बाहरी	2,24,222	10,43,263
पुरस्कार एवं सम्मान	-	88,00,000
स्मृति चिन्ह	-	1,32,360
बैंक शुल्क	1,074	1,102
<b>कुल</b>	<b>9,55,980</b>	<b>1,14,57,857</b>



विपिन त्यागी  
वित्तीय सलाहकार



डी.के. अग्रवाल  
महा-पंजीकार



त्रिलोचन महापात्रा  
अध्यक्ष

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण  
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता के  
भाग के रूप में अनुसूची

राशि रुपये में

	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
<b>अनुसूची 22- अनुदान, आर्थिक सहायता आदि पर व्यय</b>		
संस्थानों / संगठनों को दिया गया अनुदान	11,19,14,586	11,52,49,780
परियोजनाओं पर किया गया खर्च	1,31,99,967	1,68,12,958
जीन निधि को अंशदान	3,00,00,000	3,00,00,000
<b>कुल</b>	<b>15,51,14,553</b>	<b>16,20,62,738</b>

	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
<b>अनुसूची 23- ब्याज</b>		
स्थायी ऋण पर	-	-
अन्य विशिष्ट ऋण पर	-	-
ब्याज का भुगतान - सरकार	42,31,131	13,86,761
अन्य	-	-
<b>कुल</b>	<b>42,31,131</b>	<b>13,86,761</b>
<b>जीन निधि</b>		
अन्य विशिष्ट ऋण पर (जीन निधि)	-	-
<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



विपिन त्यागी  
वित्तीय सलाहकार



डी.के. अग्रवाल  
महा-पंजीकार



त्रिलोचन महापात्रा  
अध्यक्ष

## अनुसूची 24

### 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्रमुख लेखा नीतियां

#### 1. लेखा परंपरा

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अनुसार सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी), इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी अनिवार्य लेखा मानकों और लेखा महानियंत्रक द्वारा केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के लिए निर्धारित प्रारूप में तैयार किए गए हैं। प्राधिकरण आय व व्यय की सभी मदों के संबंध में लेखे की अर्जन विधि को अपनाती है, जबतक कि अन्यथा न कहा गया हो।

#### 2. वस्तु सूची का मूल्यांकन

भंडारों के स्टॉक, खपत योग्य तथा अन्य वस्तु सूची मदों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

#### 3. निवेश

- 1) निवेश जिसे "दीर्घकालीन निवेश" के रूप में वर्गीकृत किया गया है को लागत पर दिखाया जाता है। अस्थायी के अलावा अन्य गिरावट के लिए प्रावधान इन निवेशों की वहन लागत में किया जाता है।
- 2) "चालू" के रूप में वर्गीकृत निवेश को लागत और उचित मूल्य में से कम पर दिखाया जाता है। प्रत्येक निवेश के लिए इन निवेशों के मूल्य पर कमी के लिए प्रावधान वैयक्तिक रूप से विचार में लिया जाता है न की वैश्विक आधार पर।
- 3) लागत में ब्रोकरेज, ट्रान्सफर, स्टैम्प जैसे अधिग्रहण व्यय शामिल है।

#### 4. अचल सम्पत्तियां

- क) अचल सम्पत्तियों का लेखा तब रखा जाता है जब उचित निरीक्षण के पश्चात् उन्हें प्राप्त कर लिया जाता है।
- ख) अचल सम्पत्तियों को लागत में से कुल मूल्यघटस को घटा कर दिखाया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, मालभाड़ा, शुल्क तथा कर और कोई भी ऐसी प्रत्यक्ष लागत आती है जो परिसम्पत्तियों को उसकी कार्यदशा में प्रयोग हेतु लाने में व्यय की गई हो। अचल सम्पत्तियों को अधिग्रहीत करने/उनके निर्माण से संबंधित वित्तीय लागत को भी शामिल किया जाता है उस अवधि के लिए जिस अवधि तक परिसम्पत्तियां अपने अपेक्षित उपयोग के लिए तैयार होती हों।
- ग) गैर-आर्थिक अनुदानों से प्राप्त अचल सम्पत्तियों का पूंजीकरण बताए गए मूल्य पर तथा तदानुसार पूंजी संचय में जमा करके किया जाता है। निशुल्क उपहार के रूप में प्राप्त की गई अचल सम्पत्तियों को 1/-रुपये के नाममात्र मूल्य पर लेखाकृत किया जाता है।

#### 5. मूल्यघटस

- क) मूल्यघटस प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 में निर्धारित दरों पर घसित मूल्य पर किया जाता है।
- ख) 5000/-रु. और इससे कम की लागत वाली अचल सम्पत्तियों की प्रत्येक मद को उनके अधिग्रहण के वर्ष में पूर्णतः मूल्यघसित किया जाता है।
- ग) पट्टे पर ली गई भूमि पट्टे की अवधि पर परिशोधित की जाती है।

#### 6. पट्टेदारी

पट्टेदारी का किराया लीज़ की शर्तों के संदर्भ में व्यय के रूप में दिखाया जाता है।

#### 7. परिसम्पत्तियों की क्षति

परिसम्पत्तियों में क्षति तब मानी जाती है जब परिसम्पत्तियों की लागत उनकी वसूली मूल्य से अधिक हो जाती है। यह क्षति उस वर्ष के आय व व्यय के विवरण में दर्ज की जाती है जिस वर्ष परिसम्पत्ति को क्षतिग्रस्त पहचाना जाता है।

क्षति संबंधी हानि जिसे पूर्व लेखा अवधि में लेखांकित किया जा चुका है, को वापस कर लिया जाता है, यदि अनुमानित या वसूली योग्य राशि में कोई परिवर्तन होता है।

#### 8. विभिन्न व्यय

आस्थगित राजस्व व्यय, जिस वर्ष हुआ है से पांच वर्ष की अवधि के भीतर अपलिखित कर दिए जाते हैं।

#### 9. सरकारी अनुदान/अनुवर्ती

- (क) i एकमुश्त अनुदान सहायता भारत सरकार से पूंजी या राजस्व और वेतन के रूप में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए प्राप्त होती है।
- ii अनुदान सहायता से सृजित ह्यसशील परिसम्पत्तियों की लागत को 'कॉर्पस/पूंजीगत निधि' के खाते में दर्ज किया जाता है।
- iii वर्षांत अप्रयुक्त अनुदान की राशि को जिसे सरकार से प्राप्त किया गया है को प्राप्त अनुदान से घटाया जाता है और दायित्व के अंतर्गत दिखाया जाता है। जहां पिछले वर्ष की अव्ययित राशि के पुनर्वैधीकरण और आगामी वित्तीय वर्ष में इसके उपयोग के लिए सरकार की स्वीकृति प्राप्त हुई है, वहां सरकार को देय राशि को वर्ष के लिए अनुदान में फिर से जमा किया गया है।
- iv सरकार से प्राप्त अनुदान पर अर्जित ब्याज का भुगतान वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद भारत की संचित निधि में कर दिया जाता है।
- v डीयूएस केन्द्रों तथा अन्यों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद जारी अनुदान सहायता/अनुदान को, केंद्रों के पास उपलब्ध राशि के रूप में दिखाया जाता है और संबंधित डीयूएस केन्द्रों/अन्यों से निर्धारित प्रारूप में अंकेक्षित उपयोग प्रमाण-पत्र होने पर वास्तविक व्यय को डीयूएस केन्द्र/अन्यों को अनुदान के नाम पक्ष में दिखाया जाता है और वर्ष के अंत में अनुदान की शेष राशि केंद्रों के पास उपलब्ध अप्रयुक्त राशि के रूप में दिखाई जाती है।
- (ख) जिन मामलों में केन्द्र उपयोग प्रमाण पत्र लेखों को अंतिम रूप देने के पश्चात् उसके पूर्व के वर्ष के लिए प्रस्तुत करता है, उन मामलों में व्यय को प्रावधान से समायोजित किया जाता है। यदि कोई प्रावधान न हो तो इसे पूर्व अवधि समायोजित खाते में दिखाया जाता है, जैसा भी मामला हो।
- (ग) यदि वास्तविक व्यय की गई राशि भुगतान की गई अनुदान राशि से अधिक है तो प्राप्त उपयोग प्रमाण-पत्र के आधार पर व्यय की गई अतिरिक्त राशि के लिए आवश्यक दायिता सृजित की जाती है और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से राशि जारी की जाती है तथा इस प्रकार किए गए अतिरिक्त व्यय को तर्कसंगत नहीं पाया जाता है तो सृजित दायिता को वापस ले लिया जाता है।
- घ) प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित परियोजनाओं के रखरखाव पर हुए व्यय को उसी प्रकार लेखांकित किया जाता है, जैसा डीयूएस केन्द्रों के मामले में होता है।

#### 10. विदेशी मुद्रा लेन-देन

विदेशी मुद्रा संबंधी लेन-देन, लेन-देन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर दिखाए जाते हैं।

#### 11. सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ

- क) नई पेंशन योजना के वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा अदा किए गए/अदा किए जाने वाले योगदानों को आय और व्यय के विवरण में दर्ज किया जाता है।
- ख) ग्रेच्युटी संबंधी दायिताओं को वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दिखाया जाता है और इसे वार्षिक रूप से निर्धारित किया जाता है।
- ग) कर्मचारियों को छुट्टी नकदीकरण के लिए दी जाने वाली देयता अर्जन आधार पर प्रतिवर्ष निर्धारित की जाती है जो वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित होती है।

**12. करारोपण**

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 91 के अंतर्गत प्राधिकरण अपनी संपत्ति, आय, लाभ या प्राप्तियों के लिए किसी प्रकार का संपत्ति कर, आय कर या अन्य कोई कर अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

**13. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पत्तियां**

प्रावधान करते समय अनुमान की पर्याप्त मात्रा का प्रयोग किया जाता है और उन्हें मान्यता दी जाती है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान में दायित्व उत्पन्न हो और यह संभावी हो कि संसाधनों की निकासी होगी। आकस्मिक देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है लेकिन खातों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियों में इसका प्रकटीकरण किया जाता है। आकस्मिक परिसम्पत्तियों को वित्तीय विवरणों में न तो मान्यता दी जाती है और न ही उनका प्रकटीकरण किया जाता है।

**14. आय और व्यय**

इस अनुच्छेद के अंत में बताए गए विवरण के अतिरिक्त वर्ष के सभी आय और व्यय को अर्जन आधार पर लेखे के विशिष्ट प्रत्यक्ष शीर्षकों में लेखाकृत किया जाता है।

- क) पिछले वर्षों का ऐसा आय अथवा व्यय जो प्रावधान करने/देयता सृजित करने में हुई एक या इससे अधिक पूर्व अवधियों के दौरान हुई त्रुटियों या गलतियों के परिणामस्वरूप हुए हों, इन्हें 'पूर्व अवधि समायोजन' लेखे के अंतर्गत लेखाकृत किया जाता है।
- ख) यदि वास्तविक व्यय अथवा आय अनुमानित आधार पर किए गए सृजित देयता/प्रावधान से अधिक हो जाते हैं तो उन्हें नकद आधार पर लेखाकृत किया जाता है।
- ग) प्राधिकरण द्वारा वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देने के बाद की तिथि में लिए गए निर्णय के कारण और किसी अति विशिष्ट मद पर हुए आय/व्यय को, यदि कोई है तो तत्कालीन प्रभाव से नकद आधार पर लेखाकृत किया जाता है।
- घ) तुलन-पत्र में किसी मद के लेखाकरण उपचार या प्रकटीकरण की विधि का पता लगाने में महत्वपूर्ण होने की संकल्पना पर ध्यान दिया जाता है। अतः 1000/-रु. तक की प्रत्येक मद के लिए पहले से अदा किए गए/पूर्व अवधि को नकद आधार पर लेखे के प्राकृतिक शीर्षों में दर्ज किया जाता है।

**15. राजस्व मान्यता**

- क) आवेदन/पंजीकरण हेतु शुल्क, समय बढ़ाने तथा किसी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठन से विरोध संबंधी और योगदान संबंधी नोटिस के लिए दिया जाने वाला समय तथा उससे होने वाली आय को प्राप्ति पर मान्यता दी जाती है।
- ख) (i) वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान तथा उसके बाद प्राप्त डीयूएस परीक्षण शुल्क को उस वर्ष में प्राधिकरण की आय माना जाएगा जिस वर्ष यह प्राप्त होता है।  
(ii) 2008-09 से 2012-13 की अवधि के लिए प्राप्त डीयूएस परीक्षण शुल्क तथा इसके विरुद्ध अदा की गई अनुदान राशि, संबंधित डीयूएस परीक्षण केन्द्र को अदा की गई 50 प्रतिशत अग्रिम राशि को जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र तथा प्रत्येक मामले में अब तक प्राप्त की गई रिपोर्ट के आधार पर प्राप्त डीयूएस परीक्षण शुल्क के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा और अग्रिम राशि की शेष बची 50 प्रतिशत राशि को संबंधित डीयूएस केन्द्रों को देने की बजाय प्राधिकरण की आय माना जाएगा। इसके साथ ही प्राप्त किए गए कुल डीयूएस परीक्षण शुल्क में प्राधिकरण के 30 प्रतिशत हिस्से को भी आय माना जाएगा। जिन मामलों में परीक्षण रिपोर्ट न प्राप्त हुई हो वहां राशि को परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर समायोजित किया जाएगा।
- ग) प्रजनकों से लाभ में भागीदारी और क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त की गई राशि को दावेदारों की देयता के रूप में माना जाता है जब ऐसी राशि प्राप्त होती है।
- घ) अग्रिम में प्राप्त पीवीजे सदस्यता को अगले वित्तीय वर्ष से संबंधित सीमा तक पूर्व अदा किए गए के रूप में शामिल किया जाता है।

ड.) ब्याज से हुई आय को बकाया राशि तथा लागू दरों के अनुसार समय अनुपात आधार पर दर्ज किया जाता है।

**16. पृथक प्रकटीकरण**

निम्न के संबंध में आय तथा व्यय लेखे में पृथक प्रकटीकरण किए जाते हैं :

- क) 'पूर्व अवधि' मदों में वे मदें शामिल हैं जो ऐसे आय अथवा व्यय का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं जो एक या इससे अधिक की पूर्व अवधियों में वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय त्रुटियों या भूलों के परिणामस्वरूप चालू वर्ष में उत्पन्न हुई हो।
- ख) 'असाधारण मदें जो आय या व्यय की महत्वपूर्ण मदें होती हैं जो ऐसी घटनाओं या लेन-देनों से उत्पन्न होती हैं जो सामान्य क्रियाकलापों से स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं, अतः इनके बार-बार या नियमित रूप से घटित होने की अपेक्षा नहीं की जाती है।
- ग) 'विभिन्न आय' शीर्ष के अंतर्गत कोई भी ऐसी मद जो प्राधिकरण की सकल आय के 1 प्रतिशत अथवा 50,000/-रु., इनमें से जो भी अधिक हो, उससे ज्यादा हो, उसे आय तथा व्यय के लेखे में उचित लेखाशीर्ष में दर्शाया जाता है।
- घ) 'विभिन्न व्यय' के शीर्ष के अंतर्गत कोई भी ऐसी मद जो प्राधिकरण की सकल आय के 1 प्रतिशत अथवा 50,000/-रु., इनमें से जो भी अधिक हो, उससे ज्यादा हो, उसे आय तथा व्यय के लेखे में उचित लेखा शीर्ष में अलग से दर्शाया जाता है।



विपिन त्यागी  
वित्तीय सलाहकार



डी.के. अग्रवाल  
महा-पंजीकार



त्रिलोचन महापात्रा  
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 19 जून, 2025

## अनुसूची 25

### 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियां

#### 1. आकस्मिक देयताएं

- (i) उन आवेदकों का शुल्क वापस करने के मामले में प्राधिकरण के विरुद्ध एक संबंधित मुकदमे में जहां पर आवेदकों के द्वारा आवेदन राजपत्र अधिसूचना के पूर्व किया था जिसकी राशि 29,15,000 रु. (पिछले वर्ष 29,15,000 रु.) के लगभग बताई गई है, माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे शुल्क को वापस करने का निर्णय दिया है। तथापि, प्राधिकरण ने माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है।
- (ii) कर्मचारियों/पक्षों द्वारा दाखिल किए गए दावों/न्यायालय मुकदमों के संदर्भ में देयता की राशि अनमान योग्य नहीं है।

#### 2. पूंजीगत प्रतिबद्धता

प्लांट अथॉरिटी भवन के निर्माण के संबंध में पूंजीगत खाते के अंतर्गत कार्यान्वित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की राशि जिसका प्रावधान नहीं किया गया है शून्य रु. (पिछले वर्ष 12,58,54,095/-रु.) है।

#### 3. पट्टे संबंधी बाध्यता

(क) प्राधिकरण में अपने मुख्यालय तथा शाखा कार्यालयों के लिए पट्टेदारी संबंधी निम्न व्यवस्था है:

मुख्यालय/शाखा कार्यालय	पट्टेदार	पट्टे की अवधि	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए पट्टेदारी किराया (रु.)	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए पट्टेदारी किराया (रु.)
दिल्ली मुख्यालय	भा.कृ.अ.प., नई दिल्ली	—	89,836/-	2,69,508/-
गुवाहाटी शाखा कार्यालय	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट (एएयू)	25 वर्ष	60,000/-	60,000/-
रांची शाखा कार्यालय	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू), रांची	25 वर्ष	72,000/-	72,000/-
शिवमोगा शाखा कार्यालय	कृषि एवं बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवमोगा	25 वर्ष	3,15,600/-	3,15,600/-
पालमपुर शाखा कार्यालय	सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर	25 वर्ष	1,86,840/-	1,86,840/-
पुणे शाखा कार्यालय	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी	25 वर्ष	4,40,801/-	4,03,305/-

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपने पत्र सं. 2(2)/2007 सी पीटी/ईसी दिनांक 24.01.2011 के द्वारा 28.04.2011 से 30 वर्ष के लिए पट्टे के आधार पर हरभजन इन्कलेव, पूसा परिसर, नई दिल्ली के निकट 10,480 वर्ग मी. भूमि पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण को आबंटित की है जिसे आपसी समझौते से आगे बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में 11 नवम्बर 2013 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (भा.कृ.अ.सं.)/ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) और पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी और एफआरए) के बीच 1 रु. प्रति वर्ष किराये की नाम मात्र दर पर एक पट्टा संलेख किया गया है। प्राधिकरण के द्वारा 30 वर्ष की सम्पूर्ण लीज अवधि के लिए 30 रु की कुल राशि का भुगतान कर दिया गया है।

#### 4. प्राधिकरण भवन का निर्माण

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा हरभजन इन्कलेव, नई दिल्ली के निकट मौजूद 10,480

वर्ग मी. भूमि पट्टे के आधार पर 30 वर्ष के लिए पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण को हस्तांतरित की गई है। सभी कोडल औपचारिकताएं पूरी होने के बाद प्राधिकरण ने आवश्यक अनापत्तियां प्राप्त करके भवन निर्माण प्रारम्भ किया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने प्लांट अथॉरिटी भवन के निर्माण के लिए प्रारम्भ में 1,27,38,82,365/-रु. की लागत स्वीकृत की थी जिसे बाद में संशोधित करके 1,38,25,75,493/-रु कर दिया गया है। अब की तिथि तक निर्माण संबंधी गतिविधियों के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शक मैसर्स उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (यूपीआरएनएनएल) को 1,34,79,20,019/-रु. की राशि (पिछले वर्ष 1,22,91,65,701/-रु. ) अदा की जा चुकी है जिसके विरुद्ध 1,34,79,20,019/-रु. (पिछले वर्ष 1,21,96,29,957/- रु. ) के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं और शेष शून्य रु. (पिछले वर्ष 95,35,744/-रु. ) को लेखों में अग्रिम के रूप में दिखाया गया है। वर्ष 2024-25 के दौरान परियोजना के पूर्ण होने पर प्लांट अथॉरिटी भवन के निर्माण पर व्यय की गई राशि को, जिसे पूंजीगत चालू कार्य में अनुसूची 8 (ब) के अंतर्गत दर्शाया गया है, को मैसर्स यूपीआरएनएन से प्राप्त उपयोग प्रमाण-पत्रों के आधार पर, प्राधिकरण द्वारा व्यय की गई राशि और मैसर्स यूपीआरएनएन को देय शेष राशि पर विचार करते हुए संपत्ति के संबन्धित शीर्ष में अंतरित कर दिया गया है।

### 5. अचल सम्पत्तियां

31.03.2025 को सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन प्रबंधन द्वारा गठित एक दल द्वारा किया गया। यह सूचित किया गया है कि सम्पत्तियों की कोई कमी/बढ़ोतरी नहीं पाई गई है।

### 6. चालू सम्पत्तियां, ऋण तथा अग्रिम

- (क) पूर्व अध्यक्ष के अंशदान भविष्य निधि के रूप में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार से प्राप्य 45,000/-रु. की राशि अग्रिम के रूप में दर्शायी गई है। मंत्रालय के अनुदेशों पर अध्यक्ष का अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) बंद कर दिया गया तथा इस राशि को प्राधिकरण द्वारा जमा करा दिया गया है और मंत्रालय से वापस लिया जाना है जिसके लिए मंत्रालय से अनुरोध किया गया है लेकिन वापसी की प्रतीक्षा की जा रही है।
- (ख) विद्यमान डीयूएस केन्द्रों (अनुबंध-ख), नए डीयूएस केन्द्रों (अनुबंध-ग) संदर्भ प्रयोगशालाओं (अनुबंध-घ), फील्ड जीन बैंकों (अनुबंध-ड.) और प्रशिक्षण केन्द्रों (अनुबंध-च) को दी गई अनुदान राशि में परिवर्तन इस प्रकार है:

31 मार्च 2025 को

(राशि रुपये में)

विवरण	विद्यमान डीयूएस केन्द्र	नए डीयूएस केन्द्र	संदर्भ प्रयोगशालाएं	फील्ड जीन बैंक	प्रशिक्षण केन्द्र
01 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष	14,18,12,744/-	3,81,11,498/-	49,714/-	31,45,021/-	2,45,20,560/-
जमा: वर्ष 2024-25 के दौरान जारी की गई	8,11,03,974/-	1,40,30,990/-	-	31,40,320/-	2,02,61,138/-
जमा: हस्तांतरण	3,94,600/-	(3,94,600/-)	-	-	-
जमा: अर्जित ब्याज	2,97,433/-	1,69,680/-	-	468/-	322/-
घटाएं: प्राप्त उपयोग प्रमाण-पत्र	13,18,32,647/-	2,52,88,049/-	-	49,21,861/-	82,32,396/-
घटाएं: प्राप्त वापसी	1,47,851/-	-	-	-	15,14,558/-
31 मार्च 2025 को अंतिम शेष	9,16,28,253/-	2,66,29,519/-	49,714/-	13,63,948/-	3,50,35,066/-

31 मार्च 2024 को

(राशि रुपये में)

विवरण	विद्यमान डीयूएस केन्द्र	नए डीयूएस केन्द्र	संदर्भ प्रयोगशालाएं	फील्ड जीनबैंक	प्रशिक्षण केन्द्र
01 अप्रैल 2023 को प्रारंभिक शेष	11,53,71,141/-	4,35,38,818/-	49,714/-	43,88,090/-	2,72,98,134/-
जमा: वर्ष 2023-24 के दौरान जारी की गईं	8,77,57,642/-	2,96,64,902/-	-	28,94,858/-	33,75,003/-
जमा: हस्तांतरण	1,52,75,096/-	(1,52,91,587/-)	-	-	(4,233/-)
जमा: अर्जित ब्याज	61,621/-	1,36,394/-	-	-	508/-
घटाएं: प्राप्त उपयोग प्रमाण-पत्र	7,50,05,010/-	1,98,31,544/-	-	41,37,927/-	58,16,543/-
घटाएं: प्राप्त वापसी	16,47,746/-	1,05,485/-	-	-	3,32,309/-
31 मार्च 2024 को अंतिम शेष	14,18,12,744/-	3,81,11,498/-	49,714/-	31,45,021/-	2,45,20,560/-

- घ. बकाया अग्रिम डीयूएस केन्द्र/परियोजना प्राधिकारियों द्वारा किए गए समायोजन और पुष्टि के अधीन हैं।
- ड. वर्ष 2024-25 और उससे पहले की अवधि के लिए उपयोग प्रमाण-पत्रों की लंबित प्राप्तियों के लिए विद्यमान डीयूएस केंद्रों, नए डीयूएस केंद्रों, फील्ड जीन बैंकों, संदर्भ प्रयोगशालाओं से, वर्ष 2024-25 4,01,72,876/- रु. (पिछले वर्ष 7,07,39,918/- रु. का खातों में संस्थानों/संगठनों को दिए गए अनुदानों के प्रति व्यय के लिए प्रावधान किया गया है। प्रशिक्षण केन्द्रों के संबंध में वर्ष 2024-25 के दौरान 2,18,25,567/- रु. (पिछले वर्ष 11,47,105/- रु. का प्रावधान संस्थानों/संगठन को दिए गए अनुदान के विरुद्ध खर्च के लिए किया गया है। 31 मार्च 2025 तक विद्यमान डीयूएस केंद्रों, नए डीयूएस केंद्रों, फील्ड जीन बैंकों और संदर्भ प्रयोगशालाओं के संबंध में कुल प्रावधान 10,89,70,986/- रु. (पिछले वर्ष 15,88,64,222/- रु. और प्रशिक्षण केंद्रों के लिए 3,48,83,990/- रु. (पिछले वर्ष 1,97,60,961/- रु.) है।
- च. वार्षिक शुल्क को फसल किस्म के पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष पूरा होने पर देय माना गया है। यदि पंजीकृत किस्म की वैधता की अवधि वार्षिक शुल्क की देय तिथि के पूर्व समाप्त हो जाती है तो उस वार्षिक शुल्क को प्राप्य नहीं माना गया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 26 अगस्त 2009 राजपत्र अधिसूचना के अनुसार प्रजनकों या एजेंट और लाइसेंसी को पंजीकृत किस्म के बीजों की बिक्री मूल्य और रॉयल्टी का कुछ प्रतिशत अदा करना होता है। उन बचे हुए मामलों में जिनमें प्रजनकों या एजेंट या लाइसेंसी से उपलब्ध बिक्री राशि का विवरण प्राप्त नहीं हुआ था, बकाया राशि के लिए आय की गणना नहीं की गई है, जिसके लिए आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई प्रजनक, एजेंट या लाइसेंसी लगातार दो वर्षों तक शुल्क जमा कराने में असफल रहता है तो उसे नोटिस जारी करने की आवश्यकता होती है और नोटिस के निर्देश न पूरे किए जाने पर, सभी उपलब्ध सुरक्षाएं जब्त कर ली जाती हैं।

## 7. करारोपण

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 की धारा 91 के अनुसार "प्राधिकरण को अपनी संपत्ति, आय, लाभ अथवा प्राप्तियों पर सम्पत्ति कर, आयकर या कोई अन्य कर नहीं देना है" अतः वर्तमान और आस्थगित आय कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

## 8. अग्रदाय

अग्रदाय का अंतिम शेष मुख्यालय तथा शाखावार निम्नानुसार है:

## पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

(राशि रुपये में)

मुख्यालय/शाखा कार्यालय	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
दिल्ली मुख्यालय	शून्य	शून्य
गुवाहाटी शाखा कार्यालय	3,965/-	1,458/-
रांची शाखा कार्यालय	5,288/-	2,514/-
शिवमोगा शाखा कार्यालय	शून्य	957/-
पालमपुर शाखा कार्यालय	शून्य	1,066/-
पुणे शाखा कार्यालय	शून्य	शून्य
<b>कुल</b>	<b>9,253/-</b>	<b>5,995/-</b>

**9. सरकारी अनुदान**

भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों से वर्ष के दौरान खरीदी गई / पूंजीकृत की गयी अचल सम्पत्तियों को कॉर्पस/पूंजी निधि में जोड़ा गया है जिसकी राशि 14,71,511/-रु. (पिछले वर्ष 36,04,090/-रु.) है।

**10. सामान्य सेवा शुल्क से आय**

प्लांट अथॉरिटी भवन के सह-अधिवासियों के संबंध में रुपए 36,78,165/- रु. (पिछले वर्ष शून्य रु.) की आय सामान्य सेवा शुल्क के रूप में दिखाई गयी है।

**11. सेवानिवृत्ति लाभ**

(क) **ग्रेच्युटी** : कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देयता का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है जो कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा के कुल वर्षों पर निर्भर करती है तथापि, इसकी अधिकतम सीमा 25.00 लाख रुपये है। तुलन-पत्र में दर्शाई गई ग्रेच्युटी दायिता का सारांश इस प्रकार है:

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
क)	बाध्यता के वर्तमान मूल्य का आदि शेष	91,06,518/-	75,63,282/-
ख)	आय और व्यय लेखे में दिखाए गए व्यय	6,20,702/-	15,43,236/-
ग)	भुगतान किए गए लाभ	-	-
घ)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
च)	बाध्यता के वर्तमान मूल्य का अंत शेष	<b>97,27,220/-</b>	<b>91,06,518/-</b>

**बीमांकिक अवधारणाएं**

विवरण	2024-25	2023-24
प्रयुक्त विधि	परिवीक्षित इकाई जमा	परिवीक्षित इकाई जमा
छूट की दर	6.66%	7.23%
भावी वेतन वृद्धि	5.50%	5.50%

(ख) **छुट्टी नकदीकरण** : कर्मचारियों द्वारा अर्जित छुट्टी संबंधी देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है जो वर्ष के अंत में अर्जित की गई छुट्टी, नकदीकरण, ली गई छुट्टी, समाप्त हो गई छुट्टी तथा प्रतिपूरक

अनुपस्थिति के आधार पर निश्चित होती है। ऐसा सेवा में रहते समय अथवा सेवा को छोड़ते समय निर्धारित किया जाता है जो प्राधिकरण के नियमों के अंतर्गत लेखा मानक संख्या-15 (संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होता है।

प्रतिपूरित अनुपस्थिति सहित अर्जित की गई छुट्टी दायिता की संक्षिप्त स्थिति इस प्रकार है:

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
क.)	बाध्यता के वर्तमान मूल्य का आदि शेष	1,02,41,862/-	84,16,764/-
ख.)	आय और व्यय लेखे में दिखाए गए व्यय	19,79,483/-	18,25,098/-
ग.)	भुगतान किए गए लाभ	-	-
घ.)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
च.)	बाध्यता के वर्तमान मूल्य का अंत शेष	1,22,21,345/-	1,02,41,862/-

### बीमांकित अवधारणाएं

विवरण	2024-25	2023-24
प्रयुक्त विधि	परिवीक्षित इकाई जमा	परिवीक्षित इकाई जमा
छूट की दर	6.66%	7.23%
भावी वेतन वृद्धि	5.50%	5.50%

### 12. विदेशी मुद्रा लेन-देन

वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा शून्य रु. ( पिछले वर्ष 1,06,72,684/- रु. ) की राशि विदेशी मुद्रा में प्रेषित की गई है।

### 13. पूर्वावधि समायोजन लेखा

विभिन्न डीयूएस केन्द्र, परियोजनाओं और प्रशिक्षण केन्द्रों को दिए गए अग्रिम का समायोजन वर्ष 2024-25 के लेखों को अंतिम रूप देने की तिथि तक प्राप्त हुए उपयोग प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। वर्ष 2023-24 या पूर्व अवधि से संबंधित उपयोग प्रमाण पत्रों को प्रावधान के अंतर्गत समायोजित किया गया है और प्रावधान से अधिक हुए व्यय को पूर्वावधि व्यय के अंतर्गत लेखाकृत किया गया है। इसी प्रकार, पूर्व अवधि से संबंधित आय/व्यय के लिए जिसमें संबंधित वर्षों में कोई संपत्ति/दायिता सृजित नहीं की गई उन्हें भी पूर्व अवधि समायोजन लेखे में लेखाकृत किया गया है।

14. विद्यमान डीयूएस केन्द्रों/नए डीयूएस केन्द्रों/फील्ड जीनबैंकों/संदर्भ प्रयोगशालाओं तथा प्रशिक्षण केन्द्रों को शेष राशि की पुष्टि के लिए पत्र लिखे गए हैं और यह अनुरोध किया गया है कि वे शेष राशि की पुष्टि करें तथा असहमति के मामले में अपनी टिप्पणियां दें। केन्द्रों द्वारा कोई कमी रिपोर्ट किए जाने पर लेखा बहियों में आवश्यक समायोजन किया गया है।

15. वर्ष के दौरान प्राधिकरण के लिए, अवर्गीकृत प्राप्तियों के संबंध में 1,67,60,970/- रु. ( पिछले वर्ष 2,24,47,485/- रु.) की राशि को, विविध आय 1,67,60,970/- रु. ( पिछले वर्ष 1,64,33,116/- रु. ) और पूर्व अवधि की आय शून्य रु. ( पिछले वर्ष 60,14,369/- रु. ) के रूप में दर्ज किया गया है और जीन फंड के लिए 73,67,669/- रु. ( पिछले वर्ष 3,24,52,565/- रु. की राशि को, विविध आय 73,67,669/- रु. ( पिछले वर्ष 34,96,515/- रु. ) और पूर्व अवधि आय शून्य रु. ( पिछले वर्ष 2,89,56,050/- रु. ) के रूप में दर्ज किया गया है।

### 16. लेखांकन नीति में परिवर्तन

प्राधिकरण ने निवेशों के लिए लेखांकन प्रक्रिया को दर्शाने हेतु, निवेश संबंधी लेखांकन नीति को शामिल करने के लिए वर्ष के दौरान लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है। हालाँकि, इसका वार्षिक लेखों पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

## 17. पुनः समूहीकरण/पुनः वर्गीकरण/राउंडिंग ऑफ/सामंजस्य

पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ आवश्यक समझा गया, पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

## 18. लेखा नीतियां और लेखा टिप्पणियां लेखो का अभिन्न अंग हैं।



विपिन त्यागी  
वित्तीय सलाहकार



डी.के. अग्रवाल  
महा-पंजीकार



त्रिलोचन महापात्रा  
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 19 जून, 2025

अनुबंध-क

## पूर्वावधि समायोजन लेखा

राशि रुपये में

क. सं.	लेखा शीर्ष	नामे	जमा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
	प्राधिकरण निधि				
1	प्रशासनिक	14,650	-	14,650	10,18,240
2	परियोजना व्यय	3,150	-	3,150	-
3	स्थापना	-	-	-	(1,61,958)
4	ब्याज	5,86,243	2,67,017	3,19,226	27,17,943
5	मूल्यह्रास	-	93,514	(93,514)	-
6	डीयूएस/पंजीकरण शुल्क आदि	4,02,000	-	4,02,000	(61,47,903)
	कुल	10,06,043	3,60,531	6,45,512	(25,73,678)

## पूर्वावधि समायोजन लेखा

क. सं.	लेखा शीर्ष	नामे	जमा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
	जीन निधि				
1	ब्याज	-	-	-	(11,39,093)
2	वार्षिक/नवीकरण/पंजीकरण/डीयूएस शुल्क आदि	-	-	-	(2,91,17,203)
	कुल	-	-	-	(3,02,56,296)



विपिन त्यागी  
वित्तीय सलाहकार



डी.के. अग्रवाल  
महा-पंजीकार



त्रिलोचन महापात्रा  
अध्यक्ष

## केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि (विद्यमान डीयूएस केन्द्र)

राशि रुपये में

क.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2024 को प्रारंभिक शेष	2023-24 के पूर्व किया गया व्यय	2023-24 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/ बाह्य	अर्जित ब्याज	2024-25 के दौरान जारी	2024-25 उपलब्ध कुल निधि	वापसी 2024-25	2024-25 के दौरान व्यय	31 मार्च 2025 को अंत शेष
1	डीटीआर एवं डीसीटीबी, कृसियांग	चाय	1,00,000						1,00,000			1,00,000
2	बीसीकेवी - विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी	कचालू और तारो	5,10,211						5,10,211			5,10,211
3	एनबीपीजीआर, आईसीएआर -यूनिट, क्षेत्रीय केन्द्र, शिमला	चौलाई	19,041						19,041			19,041
4	आनुवंशिकी संभाग, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली		35,026						35,026			35,026
5	जीबीपीयू एवं टी - गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	ज्वार	27,475						27,475			27,475
6	आईआईएचआर, आईसीएआर-यूनिट, बंगलुरु	रजनीगंधा, कार्नेशन	5,04,918					3,24,466	8,29,384		8,05,114	24,270
7	सीटीसीआरआई - केन्द्रीय कंदीय फसल अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम	शकरकंदी एवं कसावा	9,68,317				1,299		9,69,616		6,57,706	3,11,910
8	एनबीआरआई, आईसीएआर-यूनिट, लखनऊ	ग्लेडियोल्स, बोगानवीलिया और केली	8,64,639						8,64,639			8,64,639
9	एनएआरपी, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना, पुणे	चाइना ऐस्टर	1,00,000						1,00,000			1,00,000
10	बीसीकेवी (विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय), कल्याणी	परवल	4,80,363	62,974				6,58,256	10,75,645			10,75,645
11	पुष्पविज्ञान संभाग, भा.कृ.अ.सं., भा.कृ. अ.प.-यूनिट, नई दिल्ली	गुलाब और गुलदाउदी	1,24,295						1,24,295			1,24,295
12	आईआईएचआर, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, बंगलुरु	चमेली	5,61,863					3,84,319	9,46,182		6,98,417	2,47,765
13	जीन अभियान (कृषक किस्मों का गुण निर्धारण), नई दिल्ली	-	1,40,000						1,40,000			1,40,000
14	ए एवं एफवी (कृषि एवं खाद्य उत्पादन), भुवनेश्वर	चावल	1,50,003						1,50,003			1,50,003
15	सीआईएएच, बीकानेर	-	6,71,663						-6,71,663			-

अनुबंध-ख

## केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि (विद्यमान डीयूएस केन्द्र)

राशि रुपये में

क.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2024 को प्रारंभिक शेष	2023-24 के पूर्व किया गया व्यय	2023-24 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/ बाह्य	अजित ब्याज	2024-25 के दौरान जारी	2024-25 उपलब्ध कुल निधि	वापसी 2024-25	2024-25 के दौरान व्यय	31 मार्च 2025 को अंत शेष
16	सीआईटीएच (केन्द्रीय उष्ण बागवानी संस्थान), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, श्रीनगर लखनऊ	आड़ू, आलुखारा, सेब, बादाम, नाशपाती, खुबानी व अखरोट	28,65,699		13,91,571		1,649	9,66,322	24,42,099		21,03,828	3,38,271
17	सीआईएसएच (केन्द्रीय उष्ण बागवानी संस्थान), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, लखनऊ	आम	17,60,673	1,80,488	13,61,382		9,442	15,71,595	17,99,840		8,82,627	9,17,213
18	आरएसआरआई, दुर्गापुर, जयपुर	जौ	6,44,081		6,54,069			6,62,469	6,52,481			6,52,481
19	यूपीएसआई, कोयम्बटूर	चाय	2,00,000						2,00,000			2,00,000
20	डीएफआर (पुष्पविज्ञान संभाग), भा.कृ. अ.प. पुणे	रजनीगंधा	7,87,152		7,28,363		2,070	7,38,893	7,99,752			7,99,752
21	आईएसआरआई, पुष्पविज्ञान संभाग, नई दिल्ली	बोगनवीलिया	6,40,802	4,60,901				3,35,004	5,14,905		5,14,905	-
22	एमपीकेवी (महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय), राहुड़ी (पुणे केन्द्र)	चाइना ऐस्टर	6,65,000		3,42,573			2,26,605	5,49,032			5,49,032
23	पुष्पविज्ञान एवं भूदृश्यनिर्माण संभाग, आईएसआरआई, नई दिल्ली	गुलाब और गुलदाउदी	1,06,836						1,06,836			1,06,836
24	आईआईएसआर, कोजिकोडे, भा.कृ.अ. प.-यूनिट	बीज मसाले	2,40,771						2,40,771			2,40,771
25	यूपएस, बंगलौर	चावल	2,54,467						2,54,467			2,54,467
26	एसकेएनएसयू, जोबनेर	जौ	85,554						85,554			85,554
27	जेएनकेवी, जबलपुर	दाल मटर, अलसी एवं मसूर	5,08,806	776	35,628			14,56,398	19,28,800			19,28,800
28	बीसीकेवी (विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय), कल्याणी	पान	5,61,309		1,31,309				4,30,000			4,30,000
29	आईजीकेवी, रायपुर	चावल	3,39,079						3,39,079			3,39,079
30	सीआईएमपी (केन्द्रीय औषधीय एवं सस्योद्योग पादप संस्थान), लखनऊ	औषधीय पौधे	2,98,808				4,782	2,36,239	5,39,829		5,30,727	9,102
31	सीएजेडआरआई, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, जोधपुर	अनार	1,58,111						1,58,111			1,58,111

अनुबंध-ख

केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि (विद्यमान डीयूएस केन्द्र)

राशि रुपये में

क.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2024 को प्रारंभिक शेष	2023-24 के पूर्व किया गया व्यय	2023-24 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/ बाह्य	अजित ब्याज	2024-25 के दौरान जारी	2024-25 उपलब्ध कुल निधि	वापसी 2024-25	2024-25 के दौरान व्यय	31 मार्च 2025 को अंत शेष
32	सीआईएच (केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, बीकानेर	बेर	3,01,587					4,27,413	7,29,000		7,14,032	14,968
33	एमपीयू एवं टी	मक्का	3,00,000						3,00,000			3,00,000
34	पी एच एओ, कृषि महाविद्यालय, कोल्हापुर	मक्का	2,12,560						2,12,560			2,12,560
35	आईएआरआई, सब्जी विज्ञान संभाग, नई दिल्ली	लौकी, करेला, कद्दू व खीरा	9,81,705		7,31,624			7,44,224	9,94,305			9,94,305
36	एसएफआरआई (राज्य वानिकी अनुसंधान संस्थान), ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	ऑर्किड	21,481						21,481			21,481
37	आईएआरआई, क्षेत्रीय केन्द्र, कटराई	बदगोभी व फूलगोभी	12,73,609	4,13,609	5,36,221				3,23,779			3,23,779
38	आईआईएचआर, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, बंगलुरु	आम	4,45,142					3,78,458	8,23,600		4,61,044	3,62,556
39	एनआरसी, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, त्रिची	केला	3,54,514					4,25,236	7,79,750		7,36,676	43,074
40	टीआरए, टोकलाई	चाय	6,99,932		6,99,890		15,124	4,52,568	4,67,734		-	4,67,734
41	सीएआरआई, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, पोर्ट ब्लेयर	नौनी	4,27,094					3,36,021	7,63,115			7,63,115
42	टीएनयू, कोयम्बतूर	गोण अनाज	21,11,801					5,17,347	12,11,801			12,11,801
43	एनबीपीजीआर, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, नई दिल्ली	दाना चौराई	24,09,438						24,09,438			24,09,438
44	टीएनयू, कोयम्बतूर	चमेली	8,95,000					3,75,025	7,04,000			7,04,000
45	डीजीआर (संगफली अनुसंधान निदेशालय), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, जूनागढ़	संगफली	5,41,876		2,86,870			2,53,254	5,08,260		5,08,260	-
46	सब्जी विज्ञान संभाग, आईएआरआई, नई दिल्ली	भिच	5,47,304						5,47,304			5,47,304
47	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	ऑर्किड	2,35,298						2,35,298			2,35,298
48	आईआईवीआर (भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, वाराणसी	खीरा	4,98,218						4,98,218			4,98,218

अनुबंध-ख

## केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि (विद्यमान डीयूएस केन्द्र)

राशि रुपये में

क.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2024 को प्रारंभिक शेष	2023-24 के पूर्व किया गया व्यय	2023-24 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/ बाह्य	अर्जित व्यय	2024-25 के दौरान जारी	2024-25 में उपलब्ध कुल निधि	वापसी 2024-25	2024-25 के दौरान व्यय	31 मार्च 2025 को अंत शेष
49	जेएनकेवी, जबलपुर	तिल और रामतिल	10,19,967		6,28,722			2,75,155	6,66,400		8,00,294	6,66,400
50	आईआईएचआर, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, बंगलुरु	तरबूजा और खरबूजा	1,69,540					6,59,460	8,29,000			28,706
51	सीएसआरटीआई (केन्द्रीय रेशमकीट पालन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान), मैसूर	शहतूत	6,14,253		1,68,004		16,852		4,63,101			4,63,101
52	जेएनयू (जुनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय), जामनगर	अण्ड	6,72,028						6,72,028		6,04,906	67,122
53	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	पौपलर जननद्रव्य	8,90,000		5,87,639		12,613	3,96,350	7,11,324		7,06,610	4,714
54	अंगारू (आचार्य एन जी रंगा कृषि विश्वविद्यालय), हैदराबाद	गोण अनाज	5,08,701						5,08,701			5,08,701
55	आईएफजीआईबी (राष्ट्रीय वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान), कोयम्बतूर	सफेदा एवं कैसरीना	15,83,943	3,97,960	3,76,486		15,168		8,24,665			8,24,665
56	आईआईएचआर, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, बंगलुरु	चौलाई, पालक एवं नसदार तोरी	22,16,617	9,12,568	9,12,136			7,99,736	11,91,649		8,90,576	3,01,073
57	एनआरसीएसएस (राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केन्द्र), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, अजमेर	बीज मसाले	4,91,840					1,79,795	6,71,635		4,77,440	1,94,195
58	एएयू (असम कृषि विश्वविद्यालय), जोरहट	चावल	16,29,349	6,83,899	7,18,131			8,71,831	10,99,150			10,99,150
59	पुष्पविज्ञान एवं मृदुशयनिर्माण संभाग, भा.कृ.अ.प.-यूनिट आईआरआई, नई दिल्ली	गेंदा	9,98,400		6,82,057			4,19,657	7,36,000		7,19,832	16,168
60	पीवीकेएस (विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला), भा.कृ.अ.प.-यूनिट अल्मोडा	राजमा, सोयाबीन एवं मक्का	2,95,728					11,25,502	14,21,230		11,52,664	2,68,566
61	डीएजीआर (प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, राजगुरुनगर	प्याज एवं लहसुन	10,64,849		4,72,745			4,67,446	10,59,550			10,59,550
62	एनआरसी (राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केन्द्र), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, सिविकम	ऑर्किड	5,13,638	2,08,743		3,00,000			6,04,895			6,04,895

अनुबंध-ख

केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि (विद्यमान डीयूएस केन्द्र)

राशि रुपये में

क.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2024 को प्रारम्भिक शेष	2023-24 के पूर्व किया गया व्यय	2023-24 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/ बाह्य	अजित ब्याज	2024-25 के दौरान जारी	2024-25 उपलब्ध कुल निधि	वापसी 2024-25	2024-25 के दौरान व्यय	31 मार्च 2025 को अंत शेष
63	एनआरसीपी, भा.कृ.अ.प.-यूनिट,शोलापुर	अनार	3,90,497					3,80,103	7,70,600		5,96,149	1,74,451
64	सब्जी विज्ञान संभाग, आईएआरआई, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, नई दिल्ली	प्याज एवं लहसुन	8,43,655					10,83,383	19,27,038			19,27,038
65	आईआईएसआर (भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, लखनऊ	गन्ना	4,16,849			-		8,00,094	12,16,943		7,39,566	4,77,377
66	आईआईएसआर, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, बंगलुरु	पान	4,33,274					3,99,597	8,32,871		7,27,126	1,05,745
67	सीएसएएए एवं टी (सन्ध्र शेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय), कानपुर	सरसों एवं गेहूँ	7,09,537	6,97,590				6,82,053	6,94,000			6,94,000
68	आईआईएसआर (भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, कालीकट	मसाले	13,37,483	44,238	6,81,924		8,250	3,99,441	10,19,012			10,19,012
69	डीएसआर (सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, इंदौर	सोयाबीन	25,07,344	13,92,715	6,42,209			3,50,609	8,23,029			8,23,029
70	आईआईपीआर (भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान), कानपुर	मूंग, उड़द, मसूर, राजमा व मटर	28,19,921	13,94,355	7,49,546			6,57,946	13,33,966		7,79,000	5,54,966
71	बीएसकेकेवी, दपोली	चावल	2,20,816						2,20,816			2,20,816
72	एनआरसी (राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, पुणे	अंगूर	3,60,537					5,52,863	9,13,400		8,33,889	79,511
73	आईएसआरआई, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल	चावल	2,26,007					12,64,999	14,91,006		8,43,745	6,47,261
74	गन्ना प्रजनन संस्थान, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, कायम्बतूर	गन्ना	15,95,327		10,04,063		5,208	16,58,746	22,55,218		15,03,319	7,51,899
75	आईजीकेवी, रायपुर	ग्रो आउट परीक्षण (चावल)	4,25,027					8,78,993	13,04,020		6,11,116	6,92,904
76	गन्ना प्रजनन संस्थान, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, करनाल	गन्ना	13,16,324	3,25,267	3,86,407			3,23,772	9,28,422			9,28,422
77	आईआईडब्ल्यूआईआर, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, करनाल	जौ और गेहूँ	20,48,715		13,88,850			26,69,251	33,29,116		6,76,443	26,52,673

अनुबंध-ख

## केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि (विद्यमान डीयूएस केन्द्र)

राशि रुपये में

क.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2024 को प्रारंभिक शेष	2023-24 के पूर्व किया गया व्यय	2023-24 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/ बाह्य	अर्जित व्यय	2024-25 के दौरान जारी	2024-25 उपलब्ध कुल निधि	वापसी 2024-25	2024-25 के दौरान व्यय	31 मार्च 2025 को अंत शेष
78	डीआरएमआर (तोरिया एवं सरसों अनुसंधान निदेशालय), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, भरतपुर	तोरिया और सरसों	5,81,283					4,05,713	9,86,996			9,86,996
79	आरएयू, बीकानेर - मंदौर एआईसीपीएमआईपी, जोधपुर	बाजरा	34,046					4,62,414	4,96,460			4,96,460
80	पीएयू (फंजाब कृषि विश्वविद्यालय), लुधियाना	जई, लोबिया, मिनी घास और कपास	23,41,209	12,17,369	6,84,732			8,35,782	12,74,890		8,55,013	4,19,877
81	केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, तिरुवनंतपुरम	जीमीकंद, तारो, कवालू और ग्रेटर याम	19,07,009	5,70,860	6,14,912		2,597	3,36,315	10,60,149		6,87,368	3,72,781
82	एनआरआरआई (राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, कटक	चावल	6,34,511					14,15,070	20,49,581		13,82,089	6,67,492
83	एसडी कृषि विश्वविद्यालय, गुजरात	दालें	8,18,479						8,18,479			8,18,479
84	पीडीकेवी (फंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय), अकोला	अरहर, चना, अरहर व कुसुम	7,72,106					5,93,771	13,65,877		8,71,710	4,94,167
85	सब्जी विज्ञान प्रभाग, आईएआरआई, नई दिल्ली	चौलाई, पालक, नसदार तोरी	21,06,659	5,96,007	6,37,340			7,47,985	16,21,297		7,07,528	9,13,769
86	केएयू (केरल कृषि विश्वविद्यालय), त्रिशूर	ऑर्किड	14,90,437						14,90,437			14,90,437
87	डीएमएपीआर (ओषधीय एवं सान्दीय पौधा अनुसंधान निदेशालय), आनंद	ओषधीय एवं सान्दीय पौधे	3,54,273					3,44,727	6,99,000		6,06,394	92,606
88	सीसीएसएचएयू (चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय), हिसार	कपास और चना	23,60,038	6,49,913	7,71,968			9,33,828	18,71,985			18,71,985
89	आईएआरआई, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, क्षेत्रीय केन्द्र, इंदौर	गेहूं	14,84,378	5,95,665	5,27,854			5,41,254	9,02,113			9,02,113
90	सीपीआरआई (केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, शिमला	आलू	17,95,000		11,34,683			22,14,360	28,74,677			28,74,677
91	अगारू (आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय), हैदराबाद	मक्का और उड़द	3,51,000						3,51,000			3,51,000
92	एआईएच, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, क्षेत्रीय केन्द्र, बड़पानी, मणिपुर	चावल	18,69,072		12,59,867			14,61,847	20,71,052		7,80,973	12,90,079

अनुबंध-ख

केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि (विद्यमान डीयूएस केन्द्र)

राशि रुपये में

क. सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2024 को प्रारंभिक शेष	2023-24 के पूर्व किया गया व्यय	2023-24 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/ बाह्य	अर्जित ब्याज	2024-25 के दौरान जारी	2024-25 में उपलब्ध कुल निधि	वापसी 2024-25	2024-25 के दौरान व्यय	31 मार्च 2025 को अंत शेष
93	सब्जी विज्ञान प्रभाग, आईएआरआई, नई दिल्ली	बंदगोभी और फूलगोभी	10,53,400		8,43,284			15,16,105	17,26,221			17,26,221
94	पीआईटीएसएयू (प्रो. जय शंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय), हैदराबाद	मक्का	6,42,829					18,16,334	24,59,163		17,97,841	6,61,322
95	टीएनएयू (तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय), कोयम्बतूर	चावल, सूरजमुखी और मूंगफली	7,58,470	2,80,295	90,011		19,371	7,77,113	11,84,648		8,59,999	3,24,649
96	सीटीसीआरआई (केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, क्षेत्रीय केन्द्र, भुवनेश्वर	शकरकंद और कसावा	21,82,675		11,20,075		3,462	7,09,613	17,75,675			17,75,675
97	आईआईएमआर, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, हैदराबाद	ज्वार	4,12,875				40,941	8,25,767	12,79,583		9,44,543	3,35,040
98	सीआरआईजेएफआर (केन्द्रीय पटसन एवं सम्बद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान), बैरकपुर और सीएसआरएस, बुदबुद	पटसन	12,23,877	10,58,911		3,94,600	-	14,53,684	20,13,250			20,13,250
99	एमपीकेवी, राहुरी	कपास	17,71,454	7,99,223	8,25,311			10,01,361	11,48,281		10,16,593	1,31,688
100	आईआईओआर, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, हैदराबाद	सूरजमुखी, अरुण्ड और कुसुम	6,38,527					5,15,873	11,54,400		8,46,853	3,07,547
101	सीपीसीआरआई, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, केरल	नारियल	3,03,504					3,75,246	6,78,750			6,78,750
102	यूपएस, जीकेवीके, बंगलुरु	लघु मोटे अनाज	20,92,816	7,89,146	8,28,280			5,83,480	10,58,870			10,58,870
103	सीआईएसएच (केन्द्रीय उद्योग बागवानी संस्थान), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, लखनऊ	अमरुद और लीची	13,41,256		6,44,680		4,396	3,45,066	10,46,038			10,46,038
104	आईआईपीआर (भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान), कानपुर	चना और अरहर	5,44,221			-1,95,600		6,75,379	10,24,000			10,24,000
105	एमपीकेवी, राहुरी	ज्वार, बाजरा और चना	36,37,125		10,68,925			18,99,124	44,67,324			44,67,324
106	आईआईएचआर, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, हैसरागट्टा, बंगलुरु	सब्जियां	27,053		23,29,195	32,86,347		19,93,730	29,77,935		27,94,203	1,83,732

अनुबंध-ख

## केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि (विद्यमान डीयूएस केन्द्र)

राशि रुपये में

क.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2024 को प्रारंभिक शेष	2023-24 के पूर्व किया गया व्यय	2023-24 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/ बाह्य	अर्जित ब्याज	2024-25 के दौरान जारी	2024-25 उपलब्ध कुल निधि	भापसी 2024-25	2024-25 के दौरान व्यय	31 मार्च 2025 को अंत शेष
107	यूएस (कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय), ः ारवाड	कपास, सोयाबीन, मूंगफली, ड्यूसम गेहूं और तिल	5,14,613			-1,22,805		12,23,807	16,15,615		11,82,867	4,32,748
108	आईआईएचआर (भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, बंगलुरु	गुलाब और गुलदाउदी	1,52,956					5,96,077	7,49,033		6,72,508	76,525
109	आईआईएचआर, हैदराबाद, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, हैदराबाद	चावल	48,40,178	30,09,690				7,84,266	26,14,754		12,53,142	13,61,612
110	आईआईएमआर, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, नई दिल्ली	मक्का	21,49,225	13,00,260			25,335	13,79,785	22,54,085		12,99,157	9,54,928
111	सीआईसीआर, कोयम्बतूर	कपास	9,60,403		6,04,083			8,17,606	11,73,926		11,73,926	-
112	सीआईसीआर (केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्था), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, नागपुर	कपास	29,15,100		12,24,706			21,75,484	38,65,878		20,52,740	18,13,138
113	आईआईवीआर (भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, वाराणसी	भिण्डी, बैंगन, टमाटर, बंदगोभी और फूलगोभी आदि	33,10,000	14,16,144	6,13,057			33,84,346	46,65,145		34,26,430	12,38,715
114	सीसीआरआई, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, नागपुर	सिट्रस, खट्टा, मोसम्बी और मंजारिन	2,29,777					4,30,117	6,59,894			6,59,894
115	आईआईएचआर, बंगलुरु	गुलदाउदी	8,14,216						8,14,216			8,14,216
116	आईआईएचआरआई, नई दिल्ली	गुलदाउदी	4,07,519					4,08,481	8,16,000		7,84,505	31,495
117	आईआईवीआर (भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था), वाराणसी	परवल	8,67,092		5,46,162			6,74,715	9,95,645		6,87,907	3,07,738
118	आईआईएचआर, बंगलुरु	क्रॉसेड्रा	1,58,825					3,66,175	5,25,000		5,25,000	-
119	अगारु, गुंटूर	मेस्ता और रोजले	8,21,453		3,95,942				4,25,511			4,25,511
120	डॉ. वाई एस आर बागवानी विश्वविद्यालय, गुंटूर, आंध्र प्रदेश	मिर्च और पैपरिका	16,58,582	6,37,982	3,01,866			3,33,400	10,52,134			10,52,134
121	डॉ. वाई.एस.एस. बागवानी विश्वविद्यालय, गुंटूर, आंध्र प्रदेश	क्रॉसेड्रा	4,25,000		2,38,000			2,38,000	4,25,000			4,25,000
122	सीएसकेएचपीकेबी, पालमपुर	मिर्च, पैपरिका और शिमला मिर्च	2,019					9,08,981	9,11,000		2,81,935	6,29,065

अनुबंध-ख

राशि रुपये में

केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि (विद्यमान डीयूएस केन्द्र)

क. सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2024 को प्रारंभिक शेष	2023-24 के पूर्व किया गया व्यय	2023-24 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/ बाह्य	अर्जित ब्याज	2024-25 के दौरान जारी	2024-25 उपलब्ध कुल निधि	वापसी 2024-25	2024-25 के दौरान व्यय	31 मार्च 2025 को अंत शेष
123	यूएसएस, बागलकोट	मिर्च, पैपरिका और शिमला मिर्च	2,77,768	2,000				9,01,232	11,77,000		7,81,840	3,95,160
124	एसडीएस, एसके नागर, गुजरात	दाना चौलाई	15,25,864	5,80,864	5,97,067			4,02,712	7,50,645			7,50,645
125	पीडीकेवी (पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय), अकोला सहयोग केंद्र	मूंग	8,79,857		6,35,634			7,34,977	9,79,200		7,16,968	2,62,232
126	सीएसकेएचपीकेवी, पालमपुर	कुटु	78,839					6,76,806	7,55,645		7,02,093	53,552
127	सीएसएसए एवं टी (चन्द्र शेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय), कानपुर	अलसी	12,43,484	5,32,534					7,10,950			7,10,950
128	सीआईएसएच बीकानेर	तरबूजा और खरबूजा	5,42,060		6,96,413	6,71,663		2,89,813	8,07,123		6,92,804	1,14,319
129	पीएस (पंजाब कृषि विश्वविद्यालय), लुधियाना	बाकला	9,45,000		6,04,833			4,15,478	7,55,645		7,30,645	25,000
130	एनबीपीजीआर, मा.कृ.अ.प.-यूनिट, नई दिल्ली	बाकला	10,20,159		11,27,286			3,14,891	2,07,764			2,07,764
131	एनआरसी (राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केन्द्र), मा.कृ.अ.प.-यूनिट, सिविकम	ऑर्किड	3,00,000			(3,00,000)			-			-
132	आईसीएसए-अनुसंधान निदेशालय पुत्तूर	काजू	1,90,030					1,83,849	3,73,879		3,53,217	20,662
133	आईसीएसए-एआईसीआरपी जोधपुर	बाजरा	3,19,095					3,00,000	6,19,095			6,19,095
134	सीटीसीआरआई त्रिवेन्द्रम	जिमोकाद	14,55,069	-	10,50,308		2,597	6,64,114	10,71,472		6,76,883	3,94,589
135	आईआईएसआर, बंगलुरु	भिण्डी, बैंगन और टमाटर	32,86,347			(32,86,347)			-			-
136	आईआईपीआर (भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान), कानपुर	अरहर	8,00,000		6,91,129	1,95,600		4,69,529	7,74,000		7,09,923	64,077
137	एसीएसएफ, एनएस, नवसारी, गुजरात	सफेदा और यूरोफाइला	1,87,596						1,87,596	1,45,809	41,787	-
138	बीएसकेकेवी, दापोली	कोकम	1,37,972						1,37,972			1,37,972
139	डॉ. बी.एस. कोंकण कृषि विश्वविद्यालय, दापोली	जायफल	3,01,241					3,50,759	6,52,000		5,84,204	67,796

अनुबंध-ख

## केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि (विद्यमान डीयूएस केन्द्र)

राशि रुपये में

क. सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2024 को प्रारंभिक शेष	2023-24 के पूर्व किया गया व्यय	2023-24 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/ बाह्य	अर्जित ब्याज	2024-25 के दौरान जारी	2024-25 में उपलब्ध कुल निधि	वापसी 2024-25	2024-25 के दौरान व्यय	31 मार्च 2025 को अंत शेष
140	सीएआरआई, मा.कृ.अ.प.-इकाई, पोर्ट ब्लेयर	मूंग, उड़द, लोबिया, अरहर	6,18,535					-	6,18,535			6,18,535
141	केन्द्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान, कर्नाटक	कॉफी	8,73,084						8,73,084		5,66,176	3,06,908
142	सीआईएएच, मा.कृ.अ.प.-इकाई, बीकानेर	आंवला	1,33,298			(1,33,298)		-	-			-
143	सीआईएएच, मा.कृ.अ.प.-इकाई, बीकानेर	बेल	6,24,908			1,33,298		2,10,506	9,68,712		6,90,635	2,78,077
144	सीआईएएच, मा.कृ.अ.प.-इकाई, बीकानेर	चिरौजी और इमली	7,23,012	1,90,894	1,93,600			1,91,482	5,30,000		4,60,512	69,488
145	सीआईएएच, मा.कृ.अ.प.-इकाई, बीकानेर	खजूर	2,92,582					3,81,418	6,74,000		5,80,941	93,059
146	सीआईएएच (केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान), मा.कृ.अ.प.-इकाई, बीकानेर	जामुन	4,97,804	1,96,251				1,63,811	4,65,364		1,47,251	3,18,113
147	सीआईएएच (केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान), मा.कृ.अ.प.-इकाई, लखनऊ	आंवला	2,61,894					3,83,706	6,45,600		4,51,162	1,94,438
148	सीआईएएच, मा.कृ.अ.प.-इकाई, लखनऊ	बेल	2,54,739				9,079	4,34,723	6,98,541		6,55,480	43,061
149	सीआईएएच (केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान), मा.कृ.अ.प.-इकाई, लखनऊ	जामुन	9,10,600		5,74,460		4,558	2,71,399	6,12,097		5,93,986	18,111
150	यूएफएस, धारवाड़	डूबम गेहूं	8,86,700		7,03,141	1,22,805		4,32,636	7,39,000		4,47,926	2,91,074
151	सीपीसीआरआई, कर्नाटक	सुपरी	12,31,723	2,36,723	4,13,226			87,078	6,68,852			6,68,852
152	सीपीसीआरआई, मा.कृ.अ.प.-इकाई, कर्नाटक	कोको	10,61,000		3,20,444				7,40,556			7,40,556
153	सीटीआरआई, मा.कृ.अ.प.-इकाई, राजापुरी	फूल, क्योर्ड वार्जिनिया और बीड़ी	9,67,514	6,64,968				4,73,889	7,76,435			7,76,435
154	डीएफआर, मा.कृ.अ.प.-इकाई, पुणे	गुलाब	3,04,983		(40)			4,55,589	7,60,612			7,60,612
155	आईएआरआई, नई दिल्ली	ग्लोडियोलस	3,06,310					3,92,488	6,98,798		6,62,968	35,830

अनुबंध-ख

केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि (विद्यमान डीयूएस केन्द्र)

राशि रुपये में

क.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2024 को प्रारंभिक शेष	2023-24 के पूर्व किया गया व्यय	2023-24 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/ बाह्य	अर्जित ब्याज	2024-25 के दौरान जारी	2024-25 उपलब्ध कुल निधि	वापसी 2024-25	2024-25 के दौरान व्यय	31 मार्च 2025 को अंत शेष
156	गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	जई और लोबिया	80,476						80,476			80,476
157	आईएआरआई, फल एवं बागवानी सभाग, भा.कृ.अ.प.-इकाई, नई दिल्ली	नींबू और प्मेलो	3,50,000		3,46,008			8,20,008	8,24,000		4,86,130	3,37,870
158	आईएआरआई, सब्जी विज्ञान सभाग, भा.कृ.अ.प.-इकाई, नई दिल्ली	मूली और गाजर	16,11,203		12,02,665			6,15,491	10,24,029			10,24,029
159	आईएआरआई, क्षेत्रीय केन्द्र, कटराई, कुल्लू घाटी	मूली और गाजर	4,81,335					2,42,665	7,24,000			7,24,000
160	आईएफजीटीबी, कोयम्बतूर	टेक्टोनिया ग्रेडिस	11,96,366	9,04,013			67,050	4,22,005	7,81,408		4,91,502	2,89,906
161	आईजीएफआरआई, भा.कृ.अ.प.-इकाई, झांसी	जई, गिनी घास	1,33,240						1,33,240			1,33,240
162	आईआईएचआर, बंगलुरु	सेम फली	5,44,472	5,251				1,89,528	7,28,749			7,28,749
163	आईआईएचआर, बंगलुरु	गेदा	9,77,584		6,11,444			3,49,004	7,15,144		5,72,648	1,42,496
164	आईआईएचआर, बंगलुरु	चाइना ऐस्टर	5,23,398					3,50,243	8,73,641			8,73,641
165	भा.कृ.अ.प.- एनईएच, क्षेत्रीय केन्द्र, उमियम, मेघालय	नींबू और प्मेलो	1,03,810					4,26,190	5,30,000		3,18,870	2,11,130
166	एनआरसी, पुत्तूर, भा.कृ.अ.प.-इकाई, काजू	काजू	95,121						95,121			95,121
167	एसकेयूपएसटी, कश्मीर श्रीनगर	राजमा	5,68,445		5,84,579		18,176		2,042	2,042		-
168	सीआईएमएपी (केन्द्रीय औषधीय एवं संगरोध पादप संस्थान), लखनऊ	अश्वगंधा	-		1,07,880		7,414	8,36,880	7,36,414		4,91,014	2,45,400
		कुल	14,18,12,744	2,34,11,046	4,60,46,801	3,94,600	2,97,433	8,11,03,974	15,41,50,903	1,47,851	6,23,74,800	9,16,28,253

निपिन ट्यागो

विपिन त्यागी  
वित्तीय सलाहकार

निपिन ट्यागो

डी.के. अग्रवाल  
महा-पंजीकार

लि. सहाय

त्रिलोचन महापात्रा  
अध्यक्ष

अनुबंध-ग

## केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि (नए डीयूएस केन्द्र)

राशि रुपये में

क्र.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2024 को प्रारंभिक शेष	2023-24 के पूर्व किया गया व्यय	2023-24 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/ बाह्य	अर्जित ब्याज	2024-25 के दौरान जारी	2024-25 में उपलब्ध कुल निधि	2024-25 के दौरान व्यय	31 मार्च 2025 को अंत शेष
1	आईआईएचआर, मा.कृ.अ.प.-इकाई, बंगलुरु	पपीता और शरीफा	6,16,189					3,43,419	9,59,608	5,42,024	4,17,584
2	पीएचयू (कृषक जागरूकता)	गिनी घास	7,350						7,350		7,350
3	एचएफआरआई, शिमला	शंकु वृक्ष	28,563						28,563		28,563
4	जेएनकेवीवी (जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय), जबलपुर	लघु मोटे अनाज	38,399						38,399		38,399
5	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	कानेशन	8,25,051		5,23,635		15,981	4,72,266	7,89,663	5,29,999	2,59,664
6	टीएनएचयू, कोयंबतूर	पपीता और शरीफा	4,87,037		2,61,750			3,61,750	5,87,037		5,87,037
7	यूएचएस, बागलकोट	मोरिंगा ओलिवेय लैम	6,25,000		3,14,300		3,565	2,34,767	5,49,032		5,49,032
8	टीएनएचयू, कोयंबतूर	नीम, करज और रतनजोत	2,96,685					2,38,315	5,35,000		5,35,000
9	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	विलो (सेलिक्स जाति)	2,64,225				7,099	3,93,044	6,64,368	6,64,368	-
10	एनआरसीएसएस, अजमेर	अजवाइन, दिल, नाइजेला, अजमोद और एनीसे	5,62,255						5,62,255	3,60,000	2,02,255
11	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	तिलियम जाति, ओरियंटल, एस्त्रियटिक, एलए और ओटी शंकर	3,891				10,389	5,29,767	5,44,047	4,13,203	1,30,844
12	आईएफजीटीबी, कोयंबतूर	एलिथस	51,078	85,740			34,662	1,91,000	1,91,000		1,91,000
13	आईएफजीटीबी, कोयंबतूर	रेड सैडल और भारतीय चंदन	51,533						51,533		51,533
14	आईआईएचआर, मा.कृ.अ.प.-इकाई, बंगलुरु	जरबेरा	8,69,997	3,31,398				2,12,046	7,50,645	6,61,839	88,806
15	यूएसएस, धारवाड़	लोबिया	2,74,880					9,13,681	11,88,561	7,94,043	3,94,518
16	एनईएच क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, बड़पानी	अरबी	4,93,446						4,93,446		4,93,446

अनुबंध-ग

केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि (नए डीयूएस केन्द्र)

राशि रुपये में

क.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2024 को प्रारंभिक शेष	2023-24 के पूर्व किया गया व्यय	2023-24 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/ बाह्य	अर्जित ब्याज	2024-25 के दौरान जारी	2024-25 में उपलब्ध कुल निधि	2024-25 के दौरान व्यय	31 मार्च 2025 को अंत शेष
17	डॉ. वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	सीबकथॉर्म	8,90,000		5,71,792		24,198	3,71,151	7,13,557	5,17,868	1,95,689
18	यूएस, धारवाड़	कुल्थी, मोथ, चार और चटरी	4,49,000						4,49,000		4,49,000
19	आईएसआरआई, नई दिल्ली	मूली और गाजर	-					3,00,000	3,00,000		3,00,000
20	आईआईएचआर, भा.कृ.अ.प.-इकाई, बंगलुरु	-	2,16,830						2,16,830		2,16,830
21	एसएसएसआरडी, नागालैंड विश्वविद्यालय	चाउचाउ	2,05,000						2,05,000		2,05,000
22	यूएस, जीकेबीके, बंगलुरु	कटहल	12,23,400		7,84,945			4,97,545	9,36,000		9,36,000
23	आईएसआरआई, नई दिल्ली	ब्रोकोली	1,90,237	1,63,866				2,48,629	2,75,000		2,75,000
24	बीएसकेकेवी, दापोली, महाराष्ट्र	कोकम	-					4,47,028	4,47,028		4,47,028
25	यूएस, धारवाड़	जनमद्वय, रोजेले ऑफ मेस्ता	2,23,592						2,23,592		2,23,592
26	एनआईआईएसटी, जोरहाट	नीबू घास	1,00,000						1,00,000		1,00,000
27	एसकेएसएसटी-के, श्रीनगर (केसर)	केसर	9,30,000		4,07,383		14,720	2,83,506	8,20,843		8,20,843
28	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन (क्षेत्रीय केन्द्र, सिमौर)	दहलिया	240					9,22,760	9,23,000		9,23,000
29	यूएस, धारवाड़	(नए बीज बैंक की स्थापना)	93,883						93,883		93,883
30	कृषि महाविद्यालय, विजयपुर, कर्नाटक	(नए बीज बैंक की स्थापना) (रबी, ज्वार, मूहू और अरहर)	2,46,577						2,46,577		2,46,577
31	बीएसकेकेवी, दापोली, महाराष्ट्र	नए बीज बैंक की स्थापना	1,07,929						1,07,929		1,07,929
32	बीएस, सबौर, भागलपुर	नए बीज बैंक की स्थापना (अनाज, दालें और सब्जियां)	1,72,549						1,72,549		1,72,549

अनुबंध-ग

## केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि (नए डीयूएस केन्द्र)

राशि रुपये में

क.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2024 को प्राथमिक शेष	2023-24 के पूर्व किया गया व्यय	2023-24 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/बाह्य	अर्जित ब्याज	2024-25 के दौरान जारी	2024-25 में उपलब्ध कुल निधि	2024-25 के दौरान व्यय	31 मार्च 2025 को अंत शेष
33	एनडीयूएस और टी. कुमारगंज, फैजाबाद	नए बीज बैंक की स्थापना (किसानों के खेत में उगाए गए गौण बीज मसाले)	88,384						88,384		88,384
34	यूएचएस, शिवमोगा, कर्नाटक	नए बीज बैंक की स्थापना	2,31,756						2,31,756		2,31,756
35	यूएचएस, शिवमोगा	एंथूरियम	1,77,728	1,60,365				7,11,637	7,29,000		7,29,000
36	एसकेयूएसटी, श्रीनगर	काला जीरा	9,30,000		3,56,730		11,635	2,35,914	8,20,819		8,20,819
37	एनईएच क्षेत्र, बड़पानी, नागालैंड	जीमीकंद और तारो	2,00,000						2,00,000		2,00,000
38	बीसीकेवी, कल्याणी	दहेलिया और हिबिसकस	3,81,280						3,81,280		3,81,280
39	सीआरआईजेएफ, बैरकपुर	मेस्ता और रोजेले	19,84,118	7,56,118	8,33,031	(3,94,600)			369		369
40	आईआईएचआर, बंगलुरु	चीकू	1,67,692						1,67,692		1,67,692
41	आईआईओआर, हैदराबाद	रामतिल	1,13,734						1,13,734		1,13,734
42	टीएनएयू, कायम्बतूर	उड़द	12,22,483	4,96,075	4,96,138		12,782	7,93,948	10,37,000	4,32,226	6,04,774
43	आईआईआरआई, नई दिल्ली	चिकनी तोरी	9,82,138	7,14,611	1,33,593			1,41,066	2,75,000		2,75,000
44	आईआईवीआर, वाराणसी	चिकनी तोरी	9,30,000	8,54,709				7,71,000	8,46,291		8,46,291
45	एनएयू (नक्सारी कृषि विश्वविद्यालय), गुजरात	चीकू	3,70,870						3,70,870		3,70,870
46	एसकेयूएसटी, कश्मीर	नोल खोल	-						-		-
47	सीआईटीएच, श्रीनगर	सब्जी केली	1,74,697						1,74,697		1,74,697
48	यूएएस - जीकेवीके, बंगलुरु	ब्राउन टॉक मिलेट	9,00,000						9,00,000		9,00,000
49	आईएआरआई, नई दिल्ली	सलाद	21,215					1,05,180	1,26,395		1,26,395
50	एनबीपीजीआर, रीजनल स्टेशन शिमला	दाना चौलाई और कुटु	4,39,994		4,39,994			4,75,651	4,75,651	4,38,989	36,662
51	एसकेयूएसटी, कश्मीर श्रीनगर	घाज	2,83,388						2,83,388		2,83,388
52	एसकेयूएसटी, कश्मीर श्रीनगर	शलजम	1,26,888						1,26,888		1,26,888
53	आईआईएचआर, बंगलुरु	करी पत्ते	3,22,250		2,80,362			2,30,821	2,72,709	39,709	2,33,000
54	राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर	अमरुद और लीची	10,31,616	6,52,065				3,71,094	7,50,645		7,50,645

अनुबंध-ग

केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि (नए डीयूएस केन्द्र)

राशि रुपये में

क्र.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2024 को प्रारंभिक शेष	2023-24 के पूर्व किया गया व्यय	2023-24 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/ बाह्य	अर्जित ब्याज	2024-25 के दौरान जारी	2024-25 में उपलब्ध कुल निधि	2024-25 के दौरान व्यय	31 मार्च 2025 को अंत शेष
55	यूएस, जीकेवीके, बंगलुरु	मिर्च, पैपरिका और शिमला मिर्च	10,73,600		10,36,649		1,125	1,86,049	2,24,125	88,946	1,35,179
56	एसकेयूएससी, कश्मीर	नरगिस	4,50,000						4,50,000		4,50,000
57	सीआईटीएच, श्रीनगर	पर्ण	1,71,997						1,71,997		1,71,997
58	आईआईएचआर, बंगलुरु	ड्रैगन फल	-	51,556				13,61,556	13,10,000	13,10,000	-
59	आईआईवीआर, वाराणसी	मखमली बीन	3,00,000						3,00,000		3,00,000
60	यूएस - जीकेवीके, बंगलुरु	बम्बारा मूगफली	9,00,000						9,00,000		9,00,000
61	आईआईवीआर, वाराणसी	सफेद कद्दू, चचेंडा, कुंदरू	7,49,749		7,33,288				16,461		16,461
62	अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे	अगूर	6,16,000						6,16,000		6,16,000
63	सीएसकेएचपीकेवी, पालमपुर	जौ	3,52,000		2,55,152				96,848		96,848
64	जेएनकेवीवी (जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय), जबलपुर	कृषक किससे	6,16,000		98,236				5,17,764		5,17,764
65	एसकेयूएससी, कश्मीर	पैपरिका और लैंड रेसेस	5,31,208		4,93,658		9,341		46,891		46,891
66	बीएयू, सबौर, भागलपुर	मखाना	7,81,000						7,81,000		7,81,000
67	सीआईएच (केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान), भा.कृ.अ.प.-इकाई, बीकानेर	खेजरी	7,81,000		4,20,982				3,60,018		3,60,018
68	सीआईएच (केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान), भा.कृ.अ.प.-इकाई, बीकानेर	महुआ	6,42,122		5,09,439			1,50,000	2,82,683		2,82,683
69	सीआईएसएच (केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान), भा.कृ.अ.प.-इकाई, लखनऊ	करोदा	7,81,000						7,81,000		7,81,000
70	सीआईएमएपी (केन्द्रीय औषधीय एवं संगरोध पादप संस्थान), लखनऊ	वन तुलसी	7,11,775		6,58,375		964		54,364		54,364
71	टीएनएयू, कोयंबटूर	पाल्माइरा	7,81,000		3,52,999				4,28,001		4,28,001
72	आईआरआई, नई दिल्ली	समर स्वैश	7,81,000		7,52,494				28,506		28,506
73	डीएमएपीआर (औषधीय एवं संगरोध पादप संस्थान), आनंद	वन तुलसी	7,81,000		6,50,660				1,30,340		1,30,340

अनुबंध-ग

## केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि (नए डीयूएस केन्द्र)

राशि रुपये में

क.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2024 को प्रारंभिक शेष	2023-24 के पूर्व किया गया व्यय	2023-24 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/ बाह्य	अर्जित ब्याज	2024-25 के दौरान जारी	2024-25 में उपलब्ध कुल निधि	2024-25 के दौरान व्यय	31 मार्च 2025 को अंत शेष
74	आईआईएचआर, भा.कृ.अ.प.-इकाई, बंगलुरु	समर स्वैश	7,81,000		2,37,078				5,43,922	-	5,43,922
75	एनएचू, नवसारी, गुजरात	एडेनियम	7,81,000		6,80,602				1,00,398	-	1,00,398
76	एनबीपीजीआर, आईसीएआर -यूनिट, क्षेत्रीय केन्द्र, शिमला	विनोआ	7,81,000		7,16,826				64,174	-	64,174
77	यूएस - जीकेवीके, बंगलुरु	विनोआ	7,81,000						7,81,000		7,81,000
78	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	अलस्ट्रोएमेरिया	7,81,000				4,762		7,85,762		7,85,762
79	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	कीवी फ्रूट	7,81,000		5,82,000		18,457		2,17,457		2,17,457
80	सीआईटीएच, श्रीनगर	जैतून	-					7,29,000	7,29,000	4,29,960	2,99,040
81	आरआरआईआई, रबर बोर्ड, कोट्टायम	रबर	-					8,07,400	8,07,400	2,16,281	5,91,119
	कुल		3,81,11,498	42,66,503	1,35,82,091	-3,94,600	1,69,680	1,40,30,990	3,40,68,974	74,39,455	2,66,29,519

निपिन त्यागी

विपिन त्यागी  
वित्तीय सलाहकार

निधि मन्त्र

डी.के. अग्रवाल  
महा-पंजीकार

लि. मन्त्र

त्रिलोचन महापात्रा  
अध्यक्ष

अनुबंध-घ

संदर्भ प्रयोगशालाओं के पास उपलब्ध राशि का विवरण

राशि रुपये में

क.सं.	केन्द्र का नाम	01-04-2024 को प्रारंभिक शेष	2023-24 के पूर्व किया गया व्यय	2023-24 को किया गया व्यय	2024-25 के दौरान जारी	2024-25 के दौरान व्यय	31 मार्च 2025 को अंत शेष
1	एनआरआरआई, कटक	49,714	-	-	-	-	49,714
	कुल	49,714	-	-	-	-	49,714



विपिन त्यागी  
वित्तीय सलाहकार



डी.के. अग्रवाल  
महा-पंजीकार



त्रिलोचन महापात्रा  
अध्यक्ष

अनुबंध-ड.  
राशि रुपये में

### फील्ड जीन बैंक के अंतर्गत संगठनों / केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि का विवरण

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	01-04-2024 को प्रारंभिक शेष	2023-24 के पूर्व किया गया व्यय	2023-24 को किया गया व्यय	अर्जित ब्याज	2024-25 के दौरान जारी	2024-25 में उपलब्ध कुल निधि	2024-25 के दौरान व्यय	31 मार्च 2025 को अंत शेष
1	डॉ. बालासाहेब कोंकण कृषि विद्यापीठ, दापोली	4,37,372	-	4,37,372	-	9,14,141	9,14,141	3,54,178	5,59,963
2	एनबीपीजीआर, नई दिल्ली	13,06,288	-	13,06,288	468	9,99,824	10,00,292	2,92,565	7,07,727
3	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	14,01,361	-	11,06,355	-	12,26,355	15,21,361	14,25,103	96,258
	<b>कुल</b>	<b>31,45,021</b>	<b>-</b>	<b>28,50,015</b>	<b>468</b>	<b>31,40,320</b>	<b>34,35,794</b>	<b>20,71,846</b>	<b>13,63,948</b>

**विपिन त्यागी**

विपिन त्यागी  
वित्तीय सलाहकार

**निधि मन्त्र**

डी.के. अग्रवाल  
महो-पंजीकार

**लि सहापाद**

त्रिलोचन महापात्रा  
अध्यक्ष

अनुबंध-च

प्रशिक्षण और जागरूकता के लिए संगठन/केन्द्र को जारी अनुदान

राशि रुपये में

क्र.सं.	लामार्थी का नाम	01-04-2024 को प्रारम्भिक शेष	2023-24 के पूर्व किया गया व्यय	2023-24 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/बाह्य	अर्जित ब्याज	2024-25 के दौरान जारी	2024-25 में उपलब्ध कुल निधि	वापसी	2024-25 के दौरान व्यय	31 मार्च 2025 को अंत शेष
1	अप्य निदेशक-एफसी, कृषि विभाग, सिक्किम	80,000						80,000			80,000
2	आनंद कृषि विश्वविद्यालय, आनंद	2,41,819	86,297					1,55,522	1,55,522		-
3	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट (एएच)	2,75,000	40,000	2,30,000				5,000	5,000		-
4	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (बीएचयू), मिर्जापुर	80,000	80,000					-			-
5	बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याण पी (बीसीकेवी)	1,270						1,270			1,270
6	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची (बीएच)	99,417					1,50,000	2,49,417			2,49,417
7	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर (सीआरआई)	1,85,192						1,85,192	1,85,192		-
8	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, मणिपुर (सीएच)	80,000	80,000					-			-
9	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल	4,60,000	1,60,000	1,50,000				1,50,000			1,50,000
10	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, कोयम्बतूर (सीआईसीआर)	39,600						39,600			39,600
11	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर (सीआईसीआर)	1,79,000						1,79,000			1,79,000
12	सीईओ ग्रामीण विकास ट्रस्ट, नोरखा	80,000						80,000			80,000
13	बीएसकेकेवी दापोली	1,22,941						1,22,941			1,22,941
14	चौधरी एसएसके विश्वविद्यालय, पालमपुर	2,05,073						2,05,073	2,05,073		-
15	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	1,14,701						1,14,701			1,14,701
16	आरएचयू, बीकानेर	80,000						80,000			80,000
17	एसकेयूएसटी, राजौरी, जम्मू	2,79,976						-	-2,79,976		-
18	वीएनएमकेवी, महाराष्ट्र	80,000						80,000			80,000
19	सीकेवी, छत्तीसगढ़	80,000						80,000			80,000
20	आईजेकेवीवी, रायपुर	2,98,940					2,25,000	5,23,940		2,09,385	3,14,555
21	जेएनकेवीवी, जबलपुर	1,80,875						1,80,875	81,379		99,496
22	केवीए एवं एफएसयू, बिदर	80,746						80,746			80,746
23	एमपीयू एवं टी, उदयपुर	2,23,153						2,23,153			2,23,153
24	एसकेपीयू एवं टी, मेरठ	5,14,653						5,14,653			5,14,653

अनुबंध-च

## प्रशिक्षण और जागरूकता के लिए संगठन/केन्द्र को जारी अनुदान

राशि रुपये में

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	01-04-2024 को प्रारंभिक शेष	2023-24 के पूर्व किया गया व्यय	2023-24 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/ बाह्य	अर्जित ब्याज	2024-25 के दौरान जारी	2024-25 उपलब्ध कुल निधि	वापसी	2024-25 के दौरान व्यय	31 मार्च 2025 को अंत शेष
25	एसडीएयू, गुजरात	54						54			54
26	शर-ए-कश्मीर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर	12,66,421		15,09,672	2,79,976	-		36,725	36,725		-
27	यूएएस, रायचुर	7,20,590						7,20,590			7,20,590
28	वीबीयू, पश्चिम बंगाल	80,000	80,000					-			-
29	एसकेआरएयू, बीकानेर, अलवर	3,26,949						3,26,949			3,26,949
30	सीआरआईजेएफ, बैरकपुर	1,250						1,250			1,250
31	सीएसएयू एवं टी, कानपुर	23,862					1,76,138	2,00,000		2,00,000	-
32	कृषि निदेशालय, मेघालय	80,000						80,000			80,000
33	सीपीआरआई, शिमला- मोदीपुरम, शिमला	1,14,860						1,14,860			1,14,860
34	डीएसआर इंदौर	16,423						16,423	16,423		-
35	राष्ट्रीय कृषिविज्ञानिकी अनुसंधान केन्द्र, झांसी	80,000	80,000					-			-
36	राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र	13,076						13,076			13,076
37	वीपीकेएस अल्मोड़ा	1,16,069	61,000					55,069			55,069
38	काजू अनुसंधान निदेशालय, दक्षिण कन्नड़	1,80,000	1,80,000					-			-
39	काजरी, जोधपुर	1,85,961						1,85,961			1,85,961
40	सीआईएसएच, लखनऊ	-					3,60,000	3,60,000			3,60,000
41	सीआईटीएच, श्रीनगर	4,28,088						4,28,088			4,28,088
42	कृषि विभाग, मिजोरम	80,000						80,000			80,000
43	कृषि निदेशालय, अरुणाचल प्रदेश	80,000						80,000			80,000
44	भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर, बड़पानी	80,000						80,000			80,000
45	एनबीपीजीआर, नई दिल्ली	99,387						99,387			99,387
46	सीपीसीआरआई, कैसरगोड	80,000						80,000			80,000
47	कृषि निदेशालय, गोवा	12,689						12,689			12,689
48	आईसीएआर, आरसी, एनईएच क्षेत्र, उमियम, मेघालय	63,383						63,383			63,383
49	आईआईएबी, रांची	878						878			878
50	आईआईएसआर, कालीकट	80,000	65,000					15,000			15,000
51	राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केन्द्र, मेडजीफेना	1,60,000						1,60,000			1,60,000

अनुबंध-च

प्रशिक्षण और जागरूकता के लिए संगठन/केन्द्र को जारी अनुदान

राशि रुपये में

क्र.सं.	लभार्थी का नाम	01-04-2024 को प्राप्तिक शेष	2023-24 के पूर्व किया गया व्यय	2023-24 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/ बाह्य	अजित ब्याज	2024-25 के दौरान जारी	2024-25 में उपलब्ध कुल निधि	वापसी	2024-25 के दौरान व्यय	31 मार्च 2025 को अंत शेष
52	आईएआरआई, नई दिल्ली	1,50,039						1,50,039			1,50,039
53	मृगफली अनुसंधान निदेशालय, जूनागढ़, गुजरात	5,985						5,985			5,985
54	औषधीय एवं संगंधीय पौधा अनुसंधान निदेशालय, आनंद, गुजरात	52,069						52,069			52,069
55	एफआरआई, देहरादून	80,000						80,000			80,000
56	गोबिंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पतनगर, देहरादून	5,13,343						5,13,343			5,13,343
57	आईसीएआर अनुसंधान, पटना	80,000	80,000					-			-
58	आईजीएफआरआई, झांसी	1,60,000						1,60,000			1,60,000
59	आईआईएचआर बंगलुरु	80,000						80,000			80,000
60	आईआईएचआर बंगलुरु - सब्जी फसल प्रभाग	1,56,532						1,56,532			1,56,532
61	आईआईएसआर, कालीकट	95,373						95,373			95,373
62	आईआईवीआर, वाराणसी	2,246						2,246			2,246
63	जेएफ्यू, जूनागढ़	4,10,830						4,10,830			4,10,830
64	भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, एनईएच क्षेत्र, त्रिपुरा	80,000						80,000			80,000
65	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिचुर - कोर्यू, वेल्लानिकाय, पालघाट	1,05,900						1,05,900			1,05,900
66	मराठवाडा कृषि विश्वविद्यालय - एमएर्यू	60,000						60,000			60,000
67	एमपीकेवी, राहुरी	82,471						82,471			82,471
68	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद	6,02,895						6,02,895			6,02,895
69	राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केन्द्र, सिक्किम	80,000					2,25,000	3,05,000			3,05,000
70	ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर - ओयूएटी	1,15,942						1,15,942			1,15,942
71	पीएफ्यू, लुधियाना	16						16			16
72	पीडीकेवी, अकोला	4,36,000						4,36,000			4,36,000
73	खाद्य सुरक्षा एवं कृषि विकास विभाग निदेशालय, तादोंग	1,60,000						1,60,000			1,60,000

अनुबंध-च

## प्रशिक्षण और जागरूकता के लिए संगठन/केन्द्र को जारी अनुदान

राशि रुपये में

क.सं.	लामार्थी का नाम	01-04-2024 को प्रारंभिक शेष	2023-24 के पूर्व किया गया व्यय	2023-24 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/ बाह्य	अर्जित ब्याज	2024-25 के दौरान जारी	2024-25 में उपलब्ध कुल निधि	वापसी	2024-25 के दौरान व्यय	31 मार्च 2025 को अंत शेष
74	केवीके, शारदानगर बारामती	80,000						80,000			80,000
75	केवीके, जालना	1,054						1,054			1,054
76	केवीके, धलाई	1,50,000						1,50,000		1,50,000	-
77	केवीके, इरोड, तमिलनाडू	80,000	80,000					-			-
78	केवीके, कुरनूल	79,576						79,576			79,576
79	केवीके, विवेकनंदपुरम	1,422						1,422	1,422		-
80	पुणर्विज्ञान निदेशालय, आईएआरआई, नई दिल्ली	80,000						80,000			80,000
81	भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	78,359						78,359			78,359
82	भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	5,27,000						5,27,000			5,27,000
83	आवीएसकेवीवी, ग्वालियर	1,56,271		79,942				76,329			76,329
84	आएएयू, पूसा, समस्तीपुर, बिहार	4,15,340						4,15,340	22,360		3,92,980
85	सचिव, विकास भारती, गुमला, झारखण्ड	182						182			182
86	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बलूर-टीएनएयू, पेच्चीपै, कन्याकुमारी, धर्माडरी	2,41,562						2,41,562			2,41,562
87	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद - टीएनएयू	1,606						1,606			1,606
88	यूपी और एचएस, शिमोगा, कर्नाटक	10,15,623						10,15,623	4,26,814		5,88,809
89	यूपीएस, बागलकोट	13,431						13,431			13,431
90	यूपीएस, जीवीकेवी, बंगलुरु	1,59,706						1,59,706			1,59,706
91	यूवीकेवी, कृष्ण बिहार, पश्चिम बंगाल	4,80,000						4,80,000			4,80,000
92	यूपीएस, धारवाड़ - सैदपुर फार्म, बीजापुर	4,82,846					1,00,000	5,82,846		85,473	4,97,373
93	यूपीएस और एक पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड	1,17,112						1,17,112			1,17,112
94	डबल्यूबीयूपी और एफएस, कोलकाता	80,000						80,000			80,000
95	वाईएसपीयूपी और एफ, सोलन, चम्बा	4,93,838						4,93,838			4,93,838
96	वाईएसआर, बागवानी विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश	80,000						80,000			80,000

अनुबंध-च

प्रशिक्षण और जागरूकता के लिए संगठन/केन्द्र को जारी अनुदान

राशि रुपये में

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	01-04-2024 को प्राप्तिक शेष	2023-24 के पूर्व किया गया व्यय	2023-24 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/ बाह्य	अर्जित ब्याज	2024-25 के दौरान जारी	2024-25 में उपलब्ध कुल निधि	वापसी	2024-25 के दौरान व्यय	31 मार्च 2025 को अंत शेष
97	आंचलिक परियोजना निदेशालय - अंचल-11, बंगलुरु	1,490					27,00,000	27,01,490			27,01,490
98	आंचलिक परियोजना निदेशालय - भा.क. अ.प., अंचल-3, कानपुर, उत्तर प्रदेश	23,414						23,414			23,414
99	आंचलिक परियोजना निदेशालय - भा.क. अ.प., अंचल-2, जोधपुर	4,78,615						4,78,615			4,78,615
100	आंचलिक परियोजना निदेशालय - भा.क. अ.प., अंचल-9, जबलपुर	-					13,50,000	13,50,000			13,50,000
101	निदेशालय-कृषि, अरुणाचल प्रदेश सरकार, कामंग, लोअर सुबासिरी, गोकू - कोरक, अपर सुबासिरी	4,00,000						4,00,000			4,00,000
102	केवीके, पापुमपरे	80,000	80,000					-			-
103	एनआरसी - सूअर, रानी, गुवाहाटी - केवीके, गोलमाझ	80,000						80,000			80,000
104	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा निदेशालय, नागालैंड सरकार, कोहिमा, त्यूसॉंग	5,60,000						5,60,000			5,60,000
105	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा निदेशालय, मेघालय सरकार, शिलोंग	80,000						80,000			80,000
106	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा निदेशालय, सिक्किम सरकार, याबा	80,000						80,000			80,000
107	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा निदेशालय, त्रिपुरा सरकार	1,60,000						1,60,000			1,60,000
108	आईवीआरआई, इज्जतनगर, बरेली	80,000						80,000			80,000
109	सीटीआरआई, आंध्र प्रदेश	80,000						80,000			80,000
110	सर अरविंदो ग्रामीण विकास संस्थान, गददीपल्ली, नलगोडा, एसएआईआरडी	80,000	80,000					-			-
111	प्रवर प्राकृतिक एवं समाज विज्ञान में अनुसंधान एवं शिक्षा संस्थान, अहमदनगर-पीआईआईएनएसएस	142						142			142
112	सतपुडा एजुकेशन सोसायटी, जलगांव, जमोद, बुल्डाना	80,000	80,000					-			-
113	संत नामदेव सेवा भावी संस्था, हिंगोली	80,000						80,000			80,000

अनुबंध-च

## प्रशिक्षण और जागरूकता के लिए संगठन/केन्द्र को जारी अनुदान

राशि रुपये में

क्र.सं.	लामार्थी का नाम	01-04-2024 को प्रारंभिक शेष	2023-24 के पूर्व किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/बाह्य	अर्जित ब्याज	2024-25 के दौरान जारी	2024-25 उपलब्ध कुल निधि	वापसी	2024-25 के दौरान व्यय	31 मार्च 2025 को अंत शेष
114	कृषि विज्ञान केन्द्र, लातूर - केवीकेएल	80,000	80,000				-			-
115	डॉ. हेडगावार सेवा समिति, नंदरबार	1,60,000	1,60,000				-			-
116	शहरी कृषि प्रतिष्ठान, शोलापुर	80,000	80,000				-			-
117	नियंत्रक, एनएच, गुजरात - केवीके, नवसारी, नर्मदा	3,04,474					3,04,474			3,04,474
118	सोसायटी टू अपलिफ्ट रुरल इकोनॉमी-स्पोर्ट, बाडनेर	21,447	21,447				-			-
119	लोक भारती ग्राम विद्यापीठ, सनोसारा, भावनगर	32,220					32,220	32,220		-
120	अम्बूजा सीमेंट फाउंडेशन, कोडिनार	32,950					32,950	32,950		-
121	ग्रामीण विकास एवं पयावरण केन्द्र, भोपाल - सिहोर	500					500			500
122	अध्यक्ष, कोएच पाटिल कृषि विज्ञान फाउंडेशन, गदगा, हुल्कोटी	38					38			38
123	अध्यक्ष, कृषियुवन एजेंसी फॉर रुरल पेटेनामित्र डेवलपमेंट, तिरुवला - कोल्लम्मगोम, सीएएफआरपीडी	80,000	80,000				-			-
124	गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद - एएमबीएचईटीआई	3,475					3,475			3,475
125	महाडवाड़ा श्रुति सहाय मंडल, औरंगाबाद, जालना	1,58,946					1,58,946			1,58,946
126	सचिव, श्री अविनाशीलिंगम उच्च शिक्षा एवं गृह विज्ञान संस्थान, कोयम्बतूर, विवेकानंदपुरम, एसएआईएचईएवसी	78,578	78,337				241	241		-
127	कृषि निदेशालय, भारत सरकार, पणजी, दक्षिण गोवा	43,270					43,270			43,270
128	कृषि निदेशालय, पुदुचेरी	80,000					80,000			80,000
129	महासचिव, यूपीएसआई, कून्नूर, नीलगिरी	3,452					3,452	3,452		-
130	केएसआर तकनीकी महाविद्यालय, तिरुचेंगोडे, तमिल नाडु	80,000					80,000			80,000
131	एसेटी विश्वविद्यालय, नोएडा	80,000					80,000			80,000

अनुबंध-च

प्रशिक्षण और जागरूकता के लिए संगठन/केन्द्र को जारी अनुदान

राशि रुपये में

क.सं.	लाभार्थी का नाम	01-04-2024 को प्रारंभिक शेष	2023-24 के पूर्व किया गया व्यय	2023-24 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/बाह्य	अर्जित ब्याज	2024-25 के दौरान जारी	2024-25 उपलब्ध कुल निधि	वापसी	2024-25 के दौरान व्यय	31 मार्च 2025 को अंत शेष
132	यूरएस, बंगलुरु	4,30,000	4,30,000					-			-
133	निदेशक, बायोवैद कृषि एवं तकनीकी अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद	80,000						80,000			80,000
134	अध्यक्ष, नवभारत शिक्षा एवं सामाजिक अनुसंधान संस्था	80,000						80,000			80,000
135	एनबीआरआई, लखनऊ	80,000						80,000			80,000
136	भगवत भक्ति आश्रम	80,000						80,000			80,000
137	एसके चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट, नया मधुबनी	80,000	80,000					-			-
138	भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान, रांची	18,194						18,194	18,194		-
139	उप आयुक्त एवं अध्यक्ष, सुजानी	1,240						1,240			1,240
140	श्री रामकृष्ण सेवा केन्द्र, कोलकाता, पश्चिम त्रिपुरा	80,000						80,000			80,000
141	इलाहाबाद कृषि मानव विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	80,000						80,000			80,000
142	केआरबीएस शिक्षा सोसायटी, लखनऊ	80,000						80,000			80,000
143	श्री हनुमंतराय शिक्षा एवं धर्मार्थ सोसायटी, केवीके, कुरनूर	80,000	79,179			322		1,143			1,143
144	डॉ. वाईएसएसएचयू, वेंकटरामनगुडे	80,000	80,000					-			-
145	नियंत्रक, टी एस कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	80,000						80,000			80,000
146	गोखले एजुकेशन सोसायटी, प्राचार्य, टी ए कुलकर्णी, विधानगर, नासिक	80,000	80,000					-			-
147	अध्यक्ष, सुविदे फाउंडेशन, वाशिम	50						50			50
148	एसके एनएचू, जोबनेर	1,71,560						1,71,560			1,71,560
149	कृषि विश्वविद्यालय, मंदौर, जोधपुर	1,60,000						1,60,000			1,60,000
150	नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा	88,303						88,303			88,303
151	सचिव, आईएसवीएस, वाराणसी	80,000						80,000			80,000
152	कृषि विज्ञान केन्द्र, नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमायी	80,000	43,538					36,462	36,462		-

अनुबंध-च

## प्रशिक्षण और जागरूकता के लिए संगठन/केन्द्र को जारी अनुदान

राशि रुपये में

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	01-04-2024 को प्राथमिक शेष	2023-24 के पूर्व किया गया व्यय	2023-24 किया गया व्यय	हस्तांतरण आवधिक/बाह्य	अर्जित ब्याज	2024-25 के दौरान जारी	2024-25 में उपलब्ध कुल निधि	बापसी	2024-25 के दौरान व्यय	31 मार्च 2025 को अंत शेष
153	वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, भा.कृ.अ.प. -केवीके, पालनमित्र	79,858						79,858			79,858
154	सचिव, इंडियन सोसायटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन	80,000						80,000			80,000
155	इंडियन सोसायटी ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग	80,000	80,000				5,00,000	5,00,000			5,00,000
156	इंडियन सोसायटी ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग	80,000						80,000			80,000
157	सचिव, इंडियन एशोसिएशन ऑफ हिल फार्मिंग	80,000						80,000			80,000
158	सोसायटी फॉर कम्प्यूटिटी मोबिलाइजेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट	80,000						80,000			80,000
159	आईएसपीआरडी-पीयूएलएसवाईएम, कानपुर	80,000	80,000					-			-
160	आईएसएसडब्ल्यूसी, देहरादून	3,20,000	1,60,000					-1,60,000			-
161	पीजेटीएसयू, हैदराबाद	48,224						48,224			48,224
162	शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	2,00,000	2,00,000					-			-
163	आंचलिक परियोजना, निदेशक, भा.कृ.अ.प., अंचल-4, पटना, बिहार	4,22,068	2,40,000				13,50,000	15,32,068	1,82,068		13,50,000
164	इंडियन सोसायटी ऑफ सीड टैक्नोलॉजी, इम्फाल चैटर	1,60,000						1,60,000			1,60,000
165	उत्तर प्रदेश अनुसंधान एसोसिएशन, इलाहाबाद	80,000						80,000			80,000
166	आईएआरआई, क्षेत्रीय केन्द्र, इंदौर	80,000						80,000			80,000
167	अपरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे	81,246		18,126				63,120	63,120		-
168	आईआईपीआर (भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान), कानपुर	9,941						9,941	9,941		-
169	प्रो राजेंद्र सिंह (एज्यू. मैया) विश्वविद्यालय, प्रयागराज	1,50,000		1,50,000				-			-
170	टीएनएयू, कोयंबतूर	-					3,00,000	3,00,000			3,00,000
171	धन्यगंगा कृषि विज्ञान केंद्र						1,50,000	1,50,000			1,50,000

अनुबंध-च

प्रशिक्षण और जागरूकता के लिए संगठन/केन्द्र को जारी अनुदान

राशि रुपये में

क्र.सं.	लभार्थी का नाम	01-04-2024 को प्रारंभिक शेष	2023-24 के पूर्व किया गया व्यय	2023-24 किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/ बाह्य	अर्जित ब्याज	2024-25 के दौरान जारी	2024-25 में उपलब्ध कुल निधि	वापसी	2024-25 के दौरान व्यय	31 मार्च 2025 को अंत शेष
172	आंचलिक परियोजना निदेशालय - भा.कृ. अ.प. अंचल-5, कोलकता						42,00,000	42,00,000		2,25,000	39,75,000
173	आईआईएसएस, मऊ						50,000	50,000		50,000	-
174	केवीके,इम्फाल, पश्चिमी मणिपुर						1,50,000	1,50,000			1,50,000
175	एलकेवीके, फेक, नागालैंड						1,50,000	1,50,000		1,50,000	-
176	एससीएसआइ, नेशनल कॉन्फ्रेंस		1,60,000		1,60,000						
177	आंचलिक परियोजना निदेशालय - भा.कृ. अ.प. अंचल-1, लुधियाना						11,25,000	11,25,000			11,25,000
178	आंचलिक परियोजना निदेशालय - भा.कृ. अ.प. अंचल-7, बारापानी						16,50,000	16,50,000		15,00,000	1,50,000
179	आंचलिक परियोजना निदेशालय - भा.कृ. अ.प. अंचल-6, गुवाहाटी						24,75,000	24,75,000			24,75,000
180	आंचलिक परियोजना निदेशालय - भा.कृ. अ.प. अंचल-8, पुणे						13,50,000	13,50,000			13,50,000
181	आंचलिक परियोजना निदेशालय - भा.कृ. अ.प. अंचल-10, हैदराबाद						15,25,000	15,25,000			15,25,000
	कुल	2,45,20,560	35,24,798	21,37,740	-	322	2,02,61,138	3,91,19,482	15,14,558	25,69,858	3,50,35,066

विपिन त्यागी

वित्तीय सलाहकार

विपिन त्यागी

डी.के. अग्रवाल  
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा

अध्यक्ष

अनुबंध-छ

## बाह्य अग्रिम

राशि रुपये में

क.सं.	लाभार्थी का नाम	01-04-2024 को आरंभिक शेष	2024 -25 के दौरान जारी	2024 -25 के दौरान व्यय	31-03-2025 को अंत शेष
1	17वी एग्रिकल्चर साइन्स कांग्रेस	-	3,00,000	-	3,00,000
2	आविष्कार एक्सिबिशन एंड प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड	-	1,50,000	1,50,000	-
3	एग्ग्रे विजन फाउंडेशन	95,580	95,580	95,580	95,580
4	भारती मीडिया एंड इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	-	1,80,540	1,80,540	-
5	बीएसएल कॉन्फ्रेंस एंड एक्सिबिशन प्राइवेट लिमिटेड	-	1,50,000	1,50,000	-
6	कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट फाउंडेशन	-	1,50,000	1,50,000	-
7	डाइरेक्टर जीपीओ , नयी दिल्ली	-	4,00,000	4,00,000	-
8	आईआईएचआर बैंगलोर	-	3,75,000	3,75,000	-
9	इंडियन अकैडमी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइन्स	-	3,00,000	3,00,000	-
10	इंडियन सोसाइटी ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सस	-	3,00,000	3,00,000	-
11	इंफिनिटी रीटेल लिमिटेड	-	44,090	44,090	-
12	इन्सपाइर फाउंडेशन	-	1,91,160	1,91,160	-
13	अचीवर्स फाउंडेशन	-	2,26,560	2,26,560	-
14	खादी ग्रामोद्योग भवन	-	29,418	29,418	-
15	पिक्सी एक्सपोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड	-	1,50,000	1,50,000	-
16	संसा फाउंडेशन	-	1,50,000	1,50,000	-
17	नमो गंगा ट्रस्ट	-	2,01,780	2,01,780	-
18	सिलिकॉन कॉमनेट प्राइवेट लिमिटेड	-	3,186	3,186	-
19	यूनिवर्सल बुक ट्रेडर	-	45,600	45,600	-
20	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	-	1,80,98,269	63,53,027	1,17,45,242
21	एग्रिकल्चर साइन्स कांग्रेस	5,00,000	-	5,00,000	-
22	एएयू जोरहट	5,00,000	-	5,00,000	-
23	एमएसएसआरएफ, चेन्नई	3,00,000	3,00,000	6,00,000	-
24	सोसायटी फॉर कम्यूनिटी मोबिलाइजेशन फॉर सस्टेनएबल	2,50,000	-	2,50,000	-
25	निदेशक आईएआरआई, नई दिल्ली	80,000	64,506	39,506	1,05,000
26	फरेंड्स एक्सिबिशन एंड प्रमोशनस प्राइवेट लिमिटेड	-	3,30,540	1,50,000	1,80,540
27	एसोसिएशन ऑफ राइस रिसर्च वर्कर्स	-	2,00,000	-	2,00,000
28	सोसाइटी फॉर एग्रिकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट	-	1,20,000	-	1,20,000
29	सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ हॉर्टिकल्चर	-	1,50,000	-	1,50,000
30	यूएचएस शिवमोगा	-	20,000	-	20,000
31	विजुयल मीथस	-	4,03,560	2,26,560	1,77,000
	कुल	17,25,580	2,31,29,789	1,17,62,007	1,30,93,362

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी  
वित्तीय सलाहकार

डी.के. अग्रवाल

डी.के. अग्रवाल  
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा

त्रिलोचन महापात्रा  
अध्यक्ष

अनुबंध-ज

राशि रुपये में

भुगतान की गई सांविधिक देयताएं

क्रमांक	विवरण	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	राशि
1	सीजीईजीआईएस	1,980	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	-	10,980
2	सीजीएचएस	8,550	34,200	8,550	8,550	8,550	8,550	26,218	19,050	9,850	22,950	10,850	10,850	1,76,718
3	टीडीएस - टेकेदार	1,29,386	47,746	42,785	55,807	57,714	66,849	63,652	50,588	65,395	63,483	59,928	-	7,03,333
4	टीडीएस - व्यावसायिक	2,58,436	33,010	33,310	33,310	33,310	33,310	26,288	18,23,260	20,015	30,895	35,812	32,818	23,93,774
5	टीडीएस - वेतन	3,91,000	3,91,000	3,91,000	4,01,000	3,93,000	3,93,000	4,15,000	4,15,000	4,07,000	4,72,000	4,79,500	4,43,000	49,91,500
6	एनपीएस	1,37,777	1,30,800	1,30,800	1,41,300	1,45,545	1,45,545	1,45,545	1,57,190	1,48,458	1,48,458	1,48,458	1,48,458	17,28,334
7	जीएसटी टीडीएस	3,02,702	39,032	39,840	42,058	44,942	58,962	18,43,594	48,766	41,034	44,770	42,214	-	25,47,914
8	नियोक्ता का एनपीएस में अंशदान	3,76,005	1,83,120	1,97,820	2,03,763	2,03,763	2,03,763	2,20,064	2,07,839	2,07,839	2,07,839	2,07,839	-	24,19,654
9	प्रतिलोम शुल्क जीएसटी	9,698	8,289	14,246	-	22,520	7,868	-	16,582	9,452	7,670	7,968	-	1,04,293
10	टीडीएस - किराया	16,400	26,951	12,797	9,650	1,600	-	-	-	-	27,240	30,360	-	1,24,998
	कुल	16,31,934	8,95,048	8,72,048	8,96,338	9,11,844	9,18,747	27,41,261	27,39,175	9,09,943	10,26,205	10,23,829	6,35,126	1,52,01,498

निपिन त्यागी

वित्तीय सलाहकार

डी.के. अग्रवाल

महा-पंजीकार

लि. म. डा. पा. द.

त्रिलोचन महापात्रा  
अध्यक्ष

अनुबंध-झ

## अन्य प्रेषण

राशि रुपये में

क.सं.	विवरण	राशि
1	लाइसेंस शुल्क	1,42,668
	कुल	1,42,668



विपिन त्यागी  
वित्तीय सलाहकार



डी.के. अग्रवाल  
महा-पंजीकार



त्रिलोचन महापात्रा  
अध्यक्ष

अनुबंध-ज

स्टाफ को अग्रिम

राशि रुपये में

क.सं.	लाभार्थी का नाम	01-04-2024 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	वर्ष के दौरान समायोजित व्यय	धन वापसी की प्राप्ति	31-03-2025 को अंत शेष
1	श्री दीपल रॉय चौधरी	7,649	1,03,000	79,098	8,475	23,076
2	श्री उमा कांत दुबे	-	3,03,884	1,91,506	1,01,455	10,923
3	डीडीओ	-	1,80,600	1,78,522	2,078	-
4	श्री अजय कुमार सिंह	-	2,92,670	2,63,476	29,194	-
5	श्री अरुण कुमार	-	65,000	46,590	18,410	-
6	श्री अरविंद कुमार राय	-	5,000	5,000	-	-
7	श्री बेनी सिंह पाल	-	7,000	4,727	2,273	-
8	श्री धर्मेन्द्र सिंह पिलानिया	-	3,06,499	2,80,467	26,032	-
9	श्री डी एस राज गणेश	-	87,402	62,014	25,388	-
10	श्री पवन पांडे	-	10,000	6,092	3,908	-
11	श्री संजय कुमार गुप्ता	-	79,500	29,722	49,778	-
12	श्री नितेश कुमार वर्मा	-	13,000	12,490	510	-
13	श्री सुभाष महतो	-	5,000	5,000	-	-
14	श्री विवेक सेंगर	-	19,119	19,119	-	-
	<b>कुल</b>	<b>7,649</b>	<b>14,77,674</b>	<b>11,83,823</b>	<b>2,67,501</b>	<b>33,999</b>



विपिन त्यागी  
वित्तीय सलाहकार



डी.के. अग्रवाल  
महा-पंजीकार



त्रिलोचन महापात्रा  
अध्यक्ष



**सामान्य भविष्य निधि  
और राष्ट्रीय पेंशन  
प्रणाली खाते**



पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण  
सामान्य भविष्य निधि खाता  
31 मार्च 2025 को तुलन पत्र

राशि रुपये में

देयताएं	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	
<b>सामान्य भविष्य निधि खाता</b>				
प्रारंभिक शेष	-		-	
जोड़ें: वर्ष के दौरान अभिदान	-		-	
जोड़े :जमा किया गया ब्याज	-		-	
घटाए : अग्रिम/निकासी	-	-	-	-
एनपीएस टियर- 2		-		-
<b>आधिक्य / ( घाटा )</b>				
प्रारंभिक शेष	-		7,75,366	
जोड़ें: व्यय पर आय की अधिकता	-		-	
घटाए : प्रधान कार्यालय को अंतरण	-	-	7,75,366	-
<b>कुल</b>		-		-
<b>परिसम्पत्तियां</b>				
निवेश		-		-
सावधि जमा		-		-
सावधि जमा खाते पर अर्जित ब्याज		-		-
प्राधिकरण से प्राप्त ब्याज		-		-
बैंक शेष		-		-
बचत खातों पर		-		-
<b>कुल</b>		-		-
प्रमुख लेखा नीतियां तथा लेखों पर टिप्पणियां संलग्न है				



विपिन त्यागी  
वित्तीय सलाहकार



डी.के. अग्रवाल  
महा-पंजीकार



त्रिलोचन महापात्रा  
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 19 जून, 2025

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण  
सामान्य भविष्य निधि खाता  
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

राशि रुपये में

आय	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	
अर्जित ब्याज				
- निवेश पर	-		-	
-सावधि जमा खाते पर	-		-	
-बचत खातों पर	-		-	
-अन्य (प्राधिकरण से)	-	-	-	-
अपलिखित देयता		-		-
<b>कुल (क)</b>		-		-
<b>व्यय</b>				
सामान्य भविष्य निधि में जमा ब्याज		-		-
एनपीएस टियर- 2 खाता		-		-
बैंक शुल्क		-		-
<b>कुल (ख)</b>		-		-
<b>शेष आय का व्यय पर आधिक्य (क-ख)</b>		-		-
तुलन पत्र तक ले जाई गई अधिशेष राशि (घाटा)		-		-
प्रमुख लेखा नीतियां तथा लेखों पर टिप्पणियां संलग्न हैं				



विपिन त्यागी  
वित्तीय सलाहकार



डी.के. अग्रवाल  
महा-पंजीकार



त्रिलोचन महापात्रा  
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 19 जून, 2025

**पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण**  
**सामान्य भविष्य निधि खाता**  
**31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान लेखा**

राशि रुपये में

प्राप्तियां	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	भुगतान	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक शेष			जीपीएफ निकासी	-	-
बैंक शेष			एनपीएस टियर- 2 खाता	-	-
-बचत खातों में	-	7,20,496	प्रधान कार्यालय को अंतरण	-	7,20,496
			बैंक शुल्क	-	-
जीपीएफ अंशदान	-	-	अंत शेष		
			बैंक शेष		
स्थायी जमा का नकदीकरण	-	-	-बचत खातों में	-	-
<b>प्राप्त ब्याज</b>					
-स्थायी जमा पर	-	-			
-बचत खाते पर	-	-			
-अन्य ( प्राधिकरण से )	-	-			
एनपीएस टियर- 2 खाता	-	-			
<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>7,20,496</b>	<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>7,20,496</b>



विपिन त्यागी  
वित्तीय सलाहकार



डी.के. अग्रवाल  
महा-पंजीकार



त्रिलोचन महापात्रा  
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 19 जून, 2025

## 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भविष्य निधि और नेशनल पेंशन योजना खातों पर प्रमुख लेखा नीतियाँ और लेखों पर टिप्पणियाँ

### अ. लेखा नीतियाँ

1. पात्र कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि का रखरखाव सामान्य भविष्य निधि नियम 1960 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।
2. अभिदाताओं को देय ब्याज दर भारत सरकार के मानदंड के अनुसार है।
3. सामान्य भविष्य निधि के खाते अर्जन आधार पर तैयार किये गये हैं।
4. पात्र कर्मचारियों से भविष्य निधि का अभिदान मासिक आधार पर प्रधान कार्यालय में वेतन से काटा जाता है।
5. ब्याज में अंतर की राशि प्राधिकरण के द्वारा वहन की जाती है (अर्थात् अभिदाता को देय ब्याज और किए गए निवेश/जमा से प्राप्त राशि)।
6. सहायक रिकॉर्ड अर्थात् अभिदाता का खाता, खाता विवरण आदि का रखरखाव प्रधान कार्यालय में किया जाता है।
7. जीपीएफ संचय से किए गए निवेश को लागत मूल्य पर लेखांकित किया जाता है।
8. नेशनल पेंशन योजना का अंशदान मासिक आधार पर प्रधान कार्यालय में कर्मचारियों के वेतन से काट लिया जाता है और नियोक्ता के हिस्से के साथ नेशनल पेंशन योजना प्राधिकारी के पास जमा करा दिया जाता है।

### ब. लेखों पर टिप्पणियाँ

1. वर्ष 2022-23 में जीपीएफ के सभी अभिदाताओं को समस्त देय राशि का भुगतान करने के उपरांत अधिशेष की राशि को वर्ष 2023-24 के दौरान प्राधिकरण को अंतरित कर दिया गया है।
2. चूंकि भविष्य निधि खाता और नेशनल पेंशन योजना खाता प्राधिकरण के कोष का हिस्सा नहीं है बल्कि इनका स्वामित्व कोषों के सदस्यों के पास है न की प्राधिकरण के पास, इसलिए इन्हें अलग से दिखाया गया है। भविष्य निधि खातों और नेशनल पेंशन योजना के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता, आय और व्यय खाता (अर्जन आधार पर) और वर्ष 2024-25 के लिए तुलन पत्र प्राधिकरण के खातों के साथ संलग्न है।
3. चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप होने के लिए जहां भी आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनःवर्गीकृत किया गया है।
4. लेखांकन नीतियाँ और खातों पर टिप्पणियाँ खातों का एक अभिन्न अंग हैं।



विपिन त्यागी  
वित्तीय सलाहकार



डी.के. अग्रवाल  
महा-पंजीकार



त्रिलोचन महापात्रा  
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 19 जून, 2025

## भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी एंड एफआरए) के खातो पर 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए राय

### राय

हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) जिसे पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 62(2) के साथ पढ़ा जाए के अंतर्गत पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवीएंडएफआरए), नई दिल्ली के वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक की वित्तीय स्थिति का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता/प्राप्तियां और भुगतान खाता, वित्तीय विवरणों के लिए लेखा टिप्पणियाँ और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश शामिल है।

इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में वर्गीकरण, उत्तम लेखांकन रीतियाँ, लेखांकन मानको और प्रकटीकरण इत्यादि के मानदंडों से अनुरूपता के संबंध में केवल लेखांकन संव्यवहार के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ विनिर्दिष्ट है। विधि, नियमों एवं विनियमों (औचित्य एवं नियमनिष्ठता) के अनुपालन में वित्तीय लेन-देन और दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं इत्यादि पर लेखा अवलोकन, यदि को हो, निरीक्षण प्रतिवेदन / सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से अलग से दी जाती है।

हमारी राय में, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी और एफआरए), नई दिल्ली के संलग्न वित्तीय विवरण, जिन्हें लेखांकन नीतियों, लेखों पर टिप्पणियों तथा पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित मामलों के साथ पढ़ा जाए, 31 मार्च, 2025 को स्वायत्त निकाय की वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखाओं के एकसमान प्रारूप के अनुसार, वित्तीय स्थिति और समाप्त वर्ष के लिए इसके वित्तीय निष्पादन और प्राप्ति एवं भुगतान खातों का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करता है।

### राय का आधार

हमने अपना लेखा-परीक्षण सीएजी के लेखा-परीक्षण नियमों/मानकों/नियमावलियों/दिशानिर्देशों/मार्गदर्शन-टिप्पणियों/आदेशों/परिपत्रों आदि के अनुसार किया है। हमारे उत्तरदायित्वों का विवरण हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षण हेतु लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व" अनुभाग में दिया गया है। हम वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा-परीक्षण से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वायत्त निकाय से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षण साक्ष्य हमारी राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

### वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवीएंडएफआरए), नई दिल्ली, लेखा के एकरूप प्रारूप के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी और निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण के लिए उत्तरदायी है, और आंतरिक नियंत्रण के लिए भी, क्योंकि प्रबंधन यह निर्धारित करता है कि वित्तीय विवरणों को इस प्रकार तैयार करना आवश्यक है, जो कि धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलत बयानों से मुक्त हों।

### वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है, कि क्या समग्र वित्तीय विवरण, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त है, तथा एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें

सीएजी के लेखापरीक्षा विनियमों/मानकों/नियमावली/दिशानिर्देशों/मार्गदर्शन-टिप्पणियों/आदेशों/परिपत्रों आदि के अनुसार हमारी राय शामिल हो ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए व उनकी ओर से

स्थान: नयी दिल्ली

तिथि: 11.2025

(तान्या सिंह)

महानिदेशक लेखापरीक्षा  
केन्द्रीय व्यय (कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन)

अस्वीकरण : प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है । यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य हो ।

## पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नयी दिल्ली के खातो पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

### क. सामान्य

430 डीयूएस (मौजूदा और नए दोनों), प्रशिक्षण केंद्र आदि (अनुलग्नक बी, सी और एफ में दिखाए गए) में से 337 केंद्रों ने ₹13.68 करोड़ के अप्रयुक्त अनुदान होने के पश्चात भी, अर्जित ब्याज की कोई सूचना नहीं दी थी। इसके अलावा, 200 केंद्रों के पास चालू वित्त वर्ष 2024-25 के प्रारम्भ में 4.39 करोड़ रुपये का अप्रयुक्त अनुदान था, जिसके अंतिम शेष में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि पीपीवीएफआरए के द्वारा न तो कोई अतिरिक्त अनुदान जारी किया है और न ही केंद्रों ने वर्ष के दौरान कोई व्यय किया है। इसके अलावा, 75 केंद्रों ने कोई व्यय नहीं किया, हालांकि पीपीवीएफआरए ने 2024-25 के दौरान उन्हें ₹4.71 करोड़ का नया अनुदान जारी किया।

इस टिप्पणी को वर्ष 2021-22 से पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। तथापि, प्रबंधन के द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

### ख. प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए पृथक रूप से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्रबंधन के ध्यान में लाया गया है।

### ग. आंतरिक नियंत्रण का निर्धारण

#### (i) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

आंतरिक नियंत्रण निम्न क्षेत्रों में कमजोर है और उसे मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।

क. प्राधिकरण का कोई पृथक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग नहीं है। आंतरिक लेखापरीक्षा मुख्य वेतन एवं लेखा अधिकारी द्वारा नहीं की गई है।

ख. प्राधिकरण के द्वारा विभिन्न संगठनों/संस्थाओं जैसे मौजूदा एवं नए डीयूएस केंद्र, प्रयोगशालाओं, फील्ड जीन बैंकों, प्रशिक्षण एवं जागरूकता केंद्रों आदि को दिए गए अनुदान/अग्रिमों के संबंध में 31 मार्च 2025 तक 15.47 करोड़ रुपये के उपयोग प्रमाण पत्र शेष हैं। विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	विषय	शेष उपयोग प्रमाण पत्र (रुपयो में)
1	वर्तमान डीयूएस को जारी अग्रिम/अनुदान	9,16,28,253
2	नए डीयूएस को जारी अग्रिम/अनुदान	2,66,29,519
3	संदर्भ प्रयोगशालाओं को जारी अग्रिम	49,714
4	फील्ड जीन बैंक	13,63,948
5	प्रशिक्षण और जागरूकता केंद्र	3,50,35,066
	<b>कुल</b>	<b>15,47,06,501</b>

ग. प्राप्ति एवं भुगतान नियम 1983 के नियम 6(1) के अनुसार, सरकारी अधिकारियों द्वारा सरकार के राजस्व या प्राप्तियों या बकाया के रूप में प्राप्त या दी गई सभी धनराशि, बिना किसी विलंब के, बैंक खाते में सरकारी खाते में शामिल करने के लिए जमा की जानी चाहिए। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पीपीवीएफआरए के लेन-देन की नमूना जांच से पता चला है कि ऐसी कई प्राप्तियां देरी से जमा की गईं: कई मामलों में यह देरी 37 और 63 दिनों से अधिक की थी, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज की हानि हुई। हालांकि, महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुसार, पीपीवीएफआरए के द्वारा आवेदन/नवीनीकरण शुल्क के लिए आय को मान्यता उसकी प्राप्ति पर दी जाती है। संबंधित बैंक में शुल्क जमा करने में इस तरह की देरी को कम करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं। लेखा परीक्षा के द्वारा पाया गया कि इस प्रकार की देरी से 2024-25 के दौरान प्राप्त शुल्क की राशि को उसी वित्तीय वर्ष की आय में शामिल नहीं किया गया।

**(ii) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता**

स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के द्वारा दो चरणों में आंतरिक अंकेक्षण किया गया है: पहला अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 तक और दूसरा अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 तक ।

**(iii) स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**

वर्ष 2024-25 के लिए स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है और कोई महत्वपूर्ण अनियमितता सूचित नहीं की गयी है ।

**(iv) स्टॉक के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**

मार्च 2025 तक स्टेशनरी, पुस्तकों और उपभोग्य सामग्री का भौतिक सत्यापन किया गया है और कोई महत्वपूर्ण अनियमितता सूचित नहीं की गयी है ।

**(अ) वैधानिक देयताओं के भुगतान में नियमिता**

लेखों के अनुसार, 31.3.2025 की स्थिति के अनुसार छह माह से ऊपर का कोई भुगतान वैधानिक देयताओं के संबंध में शेष नहीं है ।

**घ. अनुदान**

प्राधिकरण के द्वारा रुपए 37.13 करोड़ (राजस्व अनुदान-रुपए 25.44 करोड़ और पूंजीगत अनुदान - रुपए 11.69 करोड़) का अनुदान वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया है और 1 अप्रैल 2024 को प्रारम्भिक शेष रुपए 7.87 करोड़ (राजस्व अनुदान- रुपए 7.56 करोड़ और पूंजीगत अनुदान - रुपए 0.31 करोड़ ) था । कुल रुपए 45.00 करोड़ की राशि में से प्राधिकरण ने रुपए 40.03 करोड़ की राशि का प्रयोग किया है (रुपए 28.37 करोड़ राजस्व व्यय और रुपए 11.66 करोड़ पूंजीगत व्यय) । इस प्रकार कुल 45.00 करोड़ के अनुदान के विरुद्ध रुपए 40.03 करोड़ का कुल व्यय हुआ है, शेष अप्रयुक्त अनुदान रुपए 4.97 करोड़ (राजस्व अनुदान - रुपए 4.63 करोड़ और पूंजीगत अनुदान - रुपए 0.34 करोड़) है, जिसका लेखा परीक्षा की समाप्ति तक पुनर्वैधीकरण शेष है ।

उप-निदेशक (एएमजी II)

## वर्ष 2024-25 के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के संबंध में उत्तर

लेखापरीक्षा का अवलोकन	प्रबंधकीय उत्तर																					
<p><b>क. सामान्य</b></p> <p>430 डीयूएस (मौजूदा और नए दोनों), प्रशिक्षण केंद्र आदि (अनुलग्नक बी, सी और एफ में दिखाए गए) में से 337 केंद्रों ने ₹13.68 करोड़ के अप्रयुक्त अनुदान होने के पश्चात भी, अर्जित ब्याज की कोई सूचना नहीं दी थी। इसके अलावा, 200 केंद्रों के पास चालू वित्त वर्ष 2024-25 के प्रारम्भ में 4.39 करोड़ रुपये का अप्रयुक्त अनुदान था, अंतिम शेष में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि पीपीवीएफआरए के द्वारा न तो कोई अतिरिक्त अनुदान जारी किया है और न ही केंद्रों ने वर्ष के दौरान कोई व्यय किया है। इसके अलावा, 75 केंद्रों ने कोई व्यय नहीं किया, हालांकि पीपीवीएफआरए ने 2024-25 के दौरान उन्हें ₹4.71 करोड़ का नया अनुदान जारी किया।</p> <p>यह टिप्पणी वर्ष 2021-22 से पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। तथापि, प्रबंधन के द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।</p>	<p>प्रबंधन के द्वारा केंद्रों के साथ ब्याज के विषय में सक्रियता से चर्चा की जा रही है और इस संबंध में सभी सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है। 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान केंद्रों से प्राप्त ब्याज के रूप में क्रमशः 1,20,740/- रुपये, 1,32,795/- रुपये, 1,98,523/- रुपये और 4,67,903/- रुपये की राशि दिखाई गयी है।</p> <p>जैसा कि पैरा में उल्लेख किया गया है, 200 केंद्रों के पास अंतिम शेष राशि दिख रही है, जिनको न तो धनराशि जारी की गई है और न ही उनसे उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उनके पास उपलब्ध शेष राशि के निपटान हेतु, उपयोग उपयोगिता प्रमाण पत्र की शीघ्र प्राप्ति या वापसी के लिए उनसे संपर्क कर रहे हैं।</p> <p>जैसा कि 75 केंद्रों के लिए पैरा में उल्लेख किया गया है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि कुछ मामलों में यूसी 2024-25 के वार्षिक खातों को अंतिम रूप देने के बाद प्राप्त हुए हैं, जिसके लिए लेखा पुस्तकों में प्रावधान किया गया है। अक्टूबर, 2025 तक, 2024-25 तक की अवधि के लिए प्राप्त यूसी के विरुद्ध 5.04 करोड़ रुपये की राशि दर्ज की गई है।</p>																					
<p><b>ग. आंतरिक नियंत्रण का निर्धारण</b></p> <p>(i) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता</p> <p>आंतरिक नियंत्रण निम्न क्षेत्रों में कमजोर है और उसे मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।</p>																						
<p><b>क. प्राधिकरण का कोई पृथक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग नहीं है। आंतरिक लेखापरीक्षा मुख्य वेतन एवं लेखा अधिकारी द्वारा नहीं की गई है।</b></p>	<p>मानव संसाधन की कमी के कारण, पृथक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग नहीं है। वित्त प्रभाग के सभी कार्यों की देखरेख के लिए वित्त प्रभाग में केवल एक ही अधिकारी है। वर्ष 2024-25 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म के द्वारा की गई है। अतः प्राधिकरण के अनुसार, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कोई कमी नहीं है। वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2024-25 के दौरान की गई है।</p>																					
<p><b>ख. प्राधिकरण के द्वारा विभिन्न संगठनों/संस्थाओं जैसे मौजूदा एवं नए डीयूएस केंद्र, प्रयोगशालाओं, फील्ड जीन बैंकों, प्रशिक्षण एवं जागरूकता केंद्रों आदि को दिए गए अनुदान/अग्रिमों के संबंध में 31 मार्च 2025 तक 15.47 करोड़ रुपये के उपयोग प्रमाण पत्र शेष हैं। विवरण नीचे दिया गया है:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">क्रम संख्या</th> <th style="text-align: center;">विषय</th> <th style="text-align: center;">शेष उपयोग प्रमाण पत्र (रुपये में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>वर्तमान डीयूएस को जारी अग्रिम/अनुदान</td> <td style="text-align: right;">9,16,28,253</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>नए डीयूएस को जारी अग्रिम/अनुदान</td> <td style="text-align: right;">2,66,29,519</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>संदर्भ प्रयोगशालाओं को जारी अग्रिम</td> <td style="text-align: right;">49,714</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>फील्ड जीन बैंक</td> <td style="text-align: right;">13,63,948</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>प्रशिक्षण केंद्र</td> <td style="text-align: right;">3,50,35,066</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"><b>कुल</b></td> <td style="text-align: right;"><b>15,47,06,501</b></td> </tr> </tbody> </table>	क्रम संख्या	विषय	शेष उपयोग प्रमाण पत्र (रुपये में)	1	वर्तमान डीयूएस को जारी अग्रिम/अनुदान	9,16,28,253	2	नए डीयूएस को जारी अग्रिम/अनुदान	2,66,29,519	3	संदर्भ प्रयोगशालाओं को जारी अग्रिम	49,714	4	फील्ड जीन बैंक	13,63,948	5	प्रशिक्षण केंद्र	3,50,35,066		<b>कुल</b>	<b>15,47,06,501</b>	<p>डीयूएस परीक्षण, रेफरल प्रयोगशाला, फील्ड जीन बैंक, प्रशिक्षण एवं जागरूकता आदि के उद्देश्य से संगठनों और संस्थाओं को जारी अनुदानों के विरुद्ध बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों या धनवापसी की शीघ्र प्राप्ति हेतु, संबंधित प्रभागों द्वारा टेलीफोन पर चर्चा के साथ-साथ संबंधित केंद्रों को ईमेल/पत्र भेजकर नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। केंद्रों को आगे की धनराशि उनके पास उपलब्ध शेष राशि को समायोजित करने के बाद जारी की जा रही है। कुछ मामलों में, वर्ष 2024-25 के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देने के बाद उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त किए गए हैं। प्राधिकरण ने इस उद्देश्य के लिए एक सीए फर्म को भी नियुक्त किया है।</p>
क्रम संख्या	विषय	शेष उपयोग प्रमाण पत्र (रुपये में)																				
1	वर्तमान डीयूएस को जारी अग्रिम/अनुदान	9,16,28,253																				
2	नए डीयूएस को जारी अग्रिम/अनुदान	2,66,29,519																				
3	संदर्भ प्रयोगशालाओं को जारी अग्रिम	49,714																				
4	फील्ड जीन बैंक	13,63,948																				
5	प्रशिक्षण केंद्र	3,50,35,066																				
	<b>कुल</b>	<b>15,47,06,501</b>																				

## वर्ष 2024-25 के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के संबंध में उत्तर

ग. प्राप्ति एवं भुगतान नियम 1983 के नियम 6(1) के अनुसार, सरकारी अधिकारियों द्वारा सरकार के राजस्व या प्राप्तियों या बकाया के रूप में प्राप्त या दी गई सभी धनराशि, बिना किसी विलंब के, बैंक खाते में सरकारी खाते में शामिल करने के लिए जमा की जानी चाहिए। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पीपीवीएफआरए के लेन-देन की नमूना जांच से पता चला है कि ऐसी कई प्राप्तियां देरी से जमा की गईं: कई मामलों में यह देरी 37 और 63 दिनों से अधिक की थी, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज की हानि हुई। हालांकि, महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुसार, पीपीवीएफआरए के द्वारा आवेदन/नवीनीकरण शुल्क के लिए आय को मान्यता उसकी प्राप्ति पर दी जाती है। संबन्धित बैंक में शुल्क जमा करने में इस तरह की देरी को कम करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं। लेखा परीक्षा के द्वारा पाया गया कि इस प्रकार की देरी से 2024-25 के दौरान प्राप्त शुल्क की राशि को उसी वित्तीय वर्ष की आय में शामिल नहीं किया गया।

कुछ मामलों में, पक्षकार ने आवेदन जमा करने की तिथि से बहुत पहले की तिथि वाले चेक/डीडी जमा किए थे। हालांकि, भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

दिनांक 2 दिसंबर, 2025 को पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली की 41वीं प्राधिकरण बैठक में एजेंडा क्रम संख्या 8 में वार्षिक लेखा 2024-25 को स्वीकार किया गया ।